दिनांक DEC 2004 को विधान मंडल
में उपस्थापित

भारत
के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च 2003 को अंत हुए वर्ष का
प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियाँ)

बिहार सरकार

http://cagindia.org/states/bihar/2003

विषय-सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		III
विहंगावलोकन		V
अध्याय–I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ	1.2	3
संग्रहण की लागत	1.3	3
प्रति निर्धारिती बिक्री कर का संग्रहण	1.4	4
संग्रहण का विश्लेषण	1.5	4
बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.6	4
बिक्री कर निर्धारण के बकाये मामले	1.7	6
कर का अपवंचन	1.8	6
वापसी	1.9	7
लेखा परीक्षा के परिणाम	1.10	7
उत्तरदायित्व प्रवर्तित करने तथा सरकार के हित की रक्षा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता	1.11	7
विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठकें	1.12	9
प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के उत्तर	1.13	9
अध्याय–II : बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	10
समीक्षा : घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों का लेखापित होना तथा उपयोगिता	2.2	11
निर्यात बिक्री के अधिक प्रकटीकरण के कारण बिक्री राशि का छिपाव	2.3	22
क्रय/विक्रय राशि का छिपाव	2.4	22
केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	2.5	24
वस्तुओं का गलत वर्गीकरण	2.6	25
छूट की गलत स्वीकृति	2.7	25
गलत दरों से कर का लगाया जाना	2.8	26
अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाना	2.9	27
संगणना में भूल के कारणवश कर का अवनिर्धारण	2.10	27
अध्याय–III : राज्य उत्पाद		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	28
समीक्षा : राज्य उत्पाद विभाग का कार्यकलाप	3.2	29

	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय–IV : अन्य कर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	38
वाहनों पर कर		
कर की वसूली नहीं होना	4.2	39
व्यापार कर तथा बिलंबित भुगतान पर अर्थदंड की वसूली नहीं होना	4.3	39
अभ्यर्पण के अस्वीकृत/रद्द होने पर कर का उद्ग्रहण नहीं होना	4.4	40
संग्रहित राजस्व को जमा करने में विलम्ब के कारण हानि	4.5	40
भू–राजस्व		
भू–लगान का निर्धारण तथा उद्ग्रहण नहीं होना	4.6	41
सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण की बेदखली/बन्दोबस्ती नहीं किया जाना	4.7	42
सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना	4.8	43
भू–लगान से विमुक्त जमाबंदी पर उपकरों का कम लगाया जाना/माँग में अनियमित कटौती	4.9	44
मुद्रांक तथा निबंधन फीस		
संपत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक तथा निबंधन फीस कम लगाया जाना	4.10	44
अध्याय–V : अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	46
खनिज रियायत, शुल्क तथा रॉयल्टियाँ		
रेलवे विभाग के कार्यों में खपत किये गये लघु खनिज पर रॉयल्टी/ब्याज का नहीं/कम लगाया जाना	5.2	47
ईंट मिट्टी के अवैध खनन पर अर्थदंड का नहीं/कम लगाया जाना	5.3	48
बंदोबस्ती के दस्तावेजों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	5.4	49
रॉयल्टी कम लगाया जाना	5.5	50
मासिक विवरणियों के बिलंबित दाखिला के कारण अर्थदंड नहीं लगाना	5.6	50
जल दर		
खतियानी की तैयारी नहीं होने के कारण माँग का सृजन नहीं किया जाना	5.7	51
वन प्राप्तियाँ		
अतिक्रमित वन भूमि को बेदखल नहीं कराया जाना	5.8	51

प्रस्तावना

31 मार्च 2003 को अंत हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्त्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य प्राप्तियों जिनमें बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, खनिज रियायत, शुल्क और रॉयल्टियाँ तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं; के लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2002–2003 के दौरान अभिलेखों की, की गयी नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये मामलों में से कुछ मामलों के साथ उन मामलों का भी उल्लेख किया गया है जो पूर्व के वर्षों में तो आये पर पूर्ववर्त्ती वर्षों के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 175.15 करोड़ रुपये कर के नहीं लगाने/कम लगाने/कर की हानि से संबद्ध दो समीक्षाओं सहित 26 कंडिकाएँ सम्मिलित हैं। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I सामान्य

वर्ष 2002–2003 में बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ 10,968.42 करोड़ रूपये थी। कर राजस्व के 2,761.05 करोड़ रूपये और कर भिन्न राजस्व के 260.82 करोड़ रूपये को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल 3,021.87 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहित किया। भारत सरकार से कुल 7,946.55 करोड़ रूपये (विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा 6,549.23 करोड़ रूपये और सहायता अनुदान 1,397.32 करोड़ रूपये) प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का मात्र 28 प्रतिशत ही संग्रहित कर सकी। वर्ष 2002–2003 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर (1,647.62 करोड़ रूपये) और अ–लौह खनन और धातु कर्मीय उद्योग (61.20 करोड़ रूपये) क्रमशः कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व के मुख्य श्रोत थे।

(कंडिका 1.1.1, 1.1.2 और 1.1.3)

राज्य उत्पाद, मुद्रांक तथा निबंधन फीस में संग्रह के लागत मूल्य का प्रतिशतांक वर्ष 2002–2003 की अवधि में उसी अवधि के अखिल भारतीय औसत से उल्लेखनीय रूप से उच्चतर था।

(कंडिका 1.3)

वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अ–लौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2002–2003 की अवधि में की गई नमूना जाँच से 13,180 मामलों में सन्निहित 292.74 करोड़ रूपये राशि के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकाश में आये। वर्ष 2002–2003 के दौरान, संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारण इत्यादि के 37 मामलों में 0.48 करोड़ रूपये के आपत्तियों को स्वीकार किया गया जो वर्ष 2002–2003 के पूर्व वर्षो से संबंधित है।

(कंडिका 1.10)

दिसम्बर 2002 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निराकरण जून 2003 तक नहीं हो पाया था, क्रमशः 7,052 तथा 30,989 थी जिनमें 2,589.57 करोड़ रूपये सन्निहित थे। 1,948 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों की प्राप्ति के छः सप्ताह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.11)

II बिक्री, व्यापार आदि पर कर

घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों का लेखापित होना तथा उपयोगिता पर एक समीक्षा निम्नवत है :

- विभिन्न घोषणा प्रपत्रों की भंडार पंजी के संधारण में अनियमितता।

(कंडिका 2.2.4)

- व्यवसायियों के द्वारा अनुपयुक्त घोषणा प्रपत्रों के उपयोग के फलस्वरूप 2.97 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण।

(कंडिका 2.2.10)

- क्रय/विक्रय राशि के छिपाव के फलस्वरूप 9.81 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण।

(कंडिका 2.2.14)

- घोषणा प्रपत्रों का गलत उपयोग के फलस्वरूप 26.78 लाख रुपये के कर का अवनिर्धारण।

(कंडिका 2.2.17)

सीमा शुल्क विभाग के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि पाँच अंचलों में 47 व्यवसायियों द्वारा 21.68 करोड़ रुपये के कर योग्य राशि के छिपाव के फलस्वरूप 6.82 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित किया गया।

(कंडिका 2.3)

नौ अंचलों में 13 व्यवसायियों द्वारा 11.76 करोड़ रुपये के क्रय/विक्रय राशि के छिपाव के फलस्वरूप 3.24 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित किया गया।

(कंडिका 2.4)

III राज्य उत्पाद

राज्य उत्पाद विभाग के कार्यकलाप पर एक समीक्षा निम्नवत है :

- छोआ से अल्कोहल की कम प्राप्ति के कारण 4.13 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि।

(कंडिका 3.2.5)

- उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण 10.22 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि।

(कंडिका 3.2.7)

- नीलामवाद मामले दर्ज नहीं कराने के कारण 32.91 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि।

(कंडिका 3.2.18)

IV अन्य कर प्राप्तियाँ

वाहनों पर कर

29 जिला परिवहन कार्यालयों में 1,448 परिवहन वाहनों के द्वारा कर का भुगतान बंद किये जाने के फलस्वरूप 11.80 करोड़ रुपये के कर की वसूली का नहीं होना।

(कंडिका 4.2)

सरकारी खाता में बिलंबित जमा के फलस्वरूप 38.91 लाख रुपये ब्याज के रूप में सरकारी राजस्व की हानि।

(कंडिका 4.5.2)

भू–राजस्व

37 राजस्व अंचलों में 1,954 रैयतों ने 286.19 एकड़ कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक उपयोग किया गया ; किन्तु विभाग द्वारा कृषि दर से लगान की वसूली करने के फलस्वरूप 2.58 करोड़ रुपये के कम राजस्व का उद्ग्रहण हुआ।

(कंडिका 4.6)

तीन राजस्व अंचलों में, 29 व्यक्तियों के द्वारा 4.19 एकड़ सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के फलस्वरूप *सलामी* तथा आवसीय/व्यावसायिक लगान के रूप में 19.81 लाख रुपये का कम उद्ग्रहण हुआ।

(कंडिका 4.7)

मुद्रांक तथा निबंधन फीस

भूमि के हस्तांतरण के लिए संपत्ति समर्पण दस्तावेज के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप 24.29 करोड़ रुपये के मुद्रांक तथा निबंधन फीस का कम लगाया जाना।

(कंडिका 4.10)

V अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ

खनिज रियायत, शुल्क तथा रॉयल्टियाँ

रेल विभाग के निर्माण कार्यों में 1,11,479 घन मीटर स्टोन ब्लास्ट की आपूर्त्ति लघु खनिजों के अनधिकृत खनन्/खुदाई से की गयी। अतः, संवेदकों को 2.92 करोड़ रुपये का भुगतान खनिजों की कीमत तथा रॉयल्टी के रूप में करना था।

(कंडिका 5.2.1)

अनधिकृत खनन्/खुदाई के द्वारा 80,748 घन मीटर स्टोन ब्लास्ट की आपूर्ति की गयी थी इसलिए पट्टेदारों को खनिजों की कीमत तथा रॉयल्टी के रूप में 1.87 करोड़ रुपये का भुगतान करना था।

(कंडिका 5.2.2)

15 जिला खनन् कार्यालयों में 4,418 ईंट भट्ठा के अनधिकृत संचालन के लिए 14.33 करोड़ रुपये का अर्थदंड या तो नहीं लगाया गया या कम लगाया गया।

(कंडिका 5.3)

143 बालू वाले क्षेत्रों की बन्दोबस्ती, बन्दोबस्ती के उचित दस्तावेजों के बगैर करने के फलस्वरूप 1.06 करोड़ रुपये का मुद्रांक शुल्क की हानि।

(कंडिका 5.4)

जलदर

5.56 लाख एकड़ सिंचित भूमि के लिए खतियानी तैयार नहीं किये जाने के फलस्वरूप 3.75 करोड़ रुपये के जल दरों की माँग का सृजन नहीं किया गया।

(कंडिका 5.7)

अध्याय – I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

1.1.1 वर्ष 2002–2003 के दौरान बिहार सरकार द्वारा संग्रहित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रूपये में)

		1998-1999	1999-2000	2000-2001[1]	2001-2002	2002-2003
I.	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व					
	(क) कर राजस्व	2,681.35	3,084.79	2,809.23	2,318.95	2,761.05
	(ख) कर–भिन्न राजस्व	1,146.29	1,165.86	711.68	286.70	260.82
	कुल	3,827.64	4,250.65	3,520.91	2,605.65	3,021.87
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	विभाज्य संघीय करो मे राज्य का अश	4,441.23	4,962.59	6,575.63	6,176.62	6,549.23
	सहायता अनुदान	1,027.32	1,446.29	1,080.78	1,057.02	1,397.32
	कुल	5,468.55	6,408.88	7,656.41	7,233.64	7,946.55
III.	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ[2] I & II	9,296.19	10,659.53	11,177.32	9,839.29	10,968.42
IV.	I से III की प्रतिशतता	41	40	31	26	28

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि वर्ष 2002–2003 में राज्य सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों (10,968.42 करोड़ रूपये) का मात्र 28 प्रतिशत ही संग्रहित कर सकी और 72 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से मिली। वर्ष 1998–1999 से 2001–2002 की अवधि में कुल राजस्व प्राप्तियों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण का अंशदान लगातार कम रहा तथा वर्ष 2002–2003 में दो प्रतिशत की आंशिक वृद्धि हुई।

1.1.2 विगत चार वर्षों के आँकड़ों के साथ–साथ वर्ष 2002–2003 के दौरान संग्रहित कर राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2001–2002 की अपेक्षा 2002–2003 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,821.85	2,067.79	1,821.47	1,412.96	1,647.62	(+) 16
2.	राज्य उत्पाद	239.51	277.80	242.58	238.90	241.95	(+) 1
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	279.34	325.77	301.86	304.44	348.21	(+) 14
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	67.04	85.25	36.77	14.08	14.30	(+) 2
5.	वाहनों पर कर	164.96	178.47	223.98	141.54	177.98	(+) 26

---

1. *वर्ष 1999–2000 के आँकड़ें विभाजन पूर्व बिहार के राजस्व प्राप्तियों को दर्शाते हैं जबकि 2000–2001 के आँकड़े विभाजन पश्चात बिहार के राजस्व प्राप्तियों को दर्शाते हैं।*

2. *पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2002–2003 के वित्त लेखे में विवरणी 11–लघु शीर्षवार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष "0020–निगम कर", "0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर", "0028–आय और व्यय पर अन्य कर", "0032–सम्पत्ति पर कर", "0044–सेवा पर कर", "0037–सीमा शुल्क", "0038–संघीय उत्पाद शुल्क" एवं "0045–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क"-लघु शीर्ष "901–निवल प्राप्तियों में राज्यों को समनुदिष्ट हिस्सा" के अन्तर्गत आँकड़े, जो वित्त लेखा में "क–कर राजस्व" में दिखाये गये है, को 'राज्य द्वारा संग्रहित राजस्व" से हटाकर "विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश" में सम्मिलित कर उक्त विवरणी में दिखाया गया है।*

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2001–2002 की अपेक्षा 2002–2003 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
6.	माल एवं यात्रियों पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश कर कर	59.78	93.92	124.84	153.32	262.91	(+) 71
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार, उद्यम तथा नौकरी पर कर	-	-	-	-	3.95	-
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	24.26	27.10	23.38	19.62	27.98	(+) 43
9.	भू–राजस्व	24.60	28.67	34.33	34.08	36.15	(+) 6
10.	कृषि आय पर कर	0.01	0.02	0.02	0.01	-	-
	कुल	**2,681.35**	**3,084.79**	**2,809.23**	**2,318.95**	**2,761.05**	(+) **19**

गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नता के कारण यद्यपि संबद्ध विभागों से माँगे गये (जून 2003), किन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

1.1.3 विगत चार वर्षों के आँकड़ों के साथ–साथ वर्ष 2002–2003 के दौरान संग्रहित कर भिन्न राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1998-1999	1999-2000	2000 -2001	2001-2002	2002-2003	2001–2002 की अपेक्षा 2002–2003 में वृद्धि (+) ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	135.99	135.75	30.68	11.75	53.01	(+) 351
2.	डेयरी विकास	0.03	0.04	0.17	0.55	0.00*	(-) 98
3.	अन्य कर भिन्न राजस्व	92.80	112.56	135.96	138.05	65.77	(-) 52
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	18.48	28.03	11.50	17.07	10.04	(-) 41
5.	अ–लौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	740.92	707.56	409.92	39.20	61.20	(+) 56
6.	मिश्रित सामान्य सेवायें (लॉटरी प्राप्तियाँ सहित)	15.17	29.82	0.61	13.95	0.60	(-) 96
7.	शक्ति	4.97	0.02	0.00	0.04	00	(-) 100
8.	मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	42.05	41.40	33.90	15.58	15.43	(-) 1
9.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	14.05	15.07	13.70	16.50	13.92	(-) 16
10.	सहकारिता	1.65	1.95	7.97	6.82	1.84	(-) 73
11.	लोक निर्माण	1.78	1.36	0.99	0.78	1.11	(+) 42
12.	पुलिस	7.66	3.63	4.70	3.98	22.71	(+) 471
13.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	70.74	88.67	61.58	22.43	15.19	(-) 32
	कुल	**1,146.29**	**1,165.86**	**711.68**	**286.70**	**260.82**	(-) **9**

* 0.48 लाख रूपये मात्र

गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नता के कारण यद्यपि संबद्ध विभागों से माँगे गये (जून 2003) किन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नतायें

वर्ष 2002–2003 के दौरान मुख्य राजस्व शीर्षों में बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नतायें नीचे दी गई हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	पुनरीक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नताएँ वृद्धि (+) ह्रास (–)	प्रतिशतता
(क)	कर राजस्व				
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,627.01	1,647.62	(+) 20.61	(+) 1
2	राज्य उत्पाद	250.00	241.95	(-) 8.05	(-) 3
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	400.00	348.21	(-) 51.79	(-) 13
4	वाहनों पर कर	205.00	177.98	(-) 27.02	(-) 13
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	16.35	14.30	(-) 2.05	(-) 13
6	भू–राजस्व	56.19	36.15	(-) 20.04	(-) 36
7	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	55.41	27.98	(-) 27.43	(-) 49
8	माल एवं यात्री पर कर – स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	189.24	262.91	(+) 73.67	(+) 39
(ख)	कर –भिन्न राजस्व				
1	अ–लौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	60.00	61.20	(+) 01.20	(+) 2
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	21.00	10.04	(-) 10.96	(-) 52
3	ब्याज प्राप्तियाँ	29.03	53.01	(+) 23.98	(+) 83

बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता के कारण यद्यपि संबद्ध विभागों से माँगे गये (जून 2003), किन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2000–2001 से 2002–2003 तक की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ वर्ष 2001–2002 के लिए सकल संग्रहण की तुलना में संग्रहण पर हुए व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गयी है:

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2001–2002 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2000-2001	1,821.47	24.96	1.37	1.26
		2001-2002	1,412.96	18.81	1.33	
		2002-2003	1,647.62	21.30	1.30	
2	राज्य उत्पाद	2000-2001	242.58	17.03	7.02	3.21
		2001-2002	238.90	13.72	5.74	
		2002-2003	241.95	13.75	5.68	
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	2000-2001	301.86	17.41	5.87	3.51
		2001-2002	304.44	18.22	5.76	
		2002-2003	348.21	17.56	5.04	
4	वाहनों पर कर	2000-2001	223.98	4.88	2.18	2.99
		2001-2002	141.54	4.14	2.92	
		2002-2003	177.98	4.11	2.30	

उपयुर्क्त तालिका से यह पता चलता है कि राज्य उत्पाद, मुद्रांक तथा निबंधन फीस के संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2001–2002 के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी।

1.4 प्रति निर्धारिती बिक्री कर का संग्रहण

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	बिक्री कर राजस्व (करोड़ रूपये में)	राजस्व प्रति निर्धारिती (लाख रूपये में)
1998-1999	1,27,830	1,821.85	1.42
1999-2000[3]	79,938	2,067.79	2.58
2000-2001	50,407	1,821.47	3.61
2001-2002	55,077	1,412.96	2.56
2002-2003	58,495	1,647.62	2.81

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्व वसूली प्रति निर्धारिती वर्ष 2001–2002 मे 2.56 लाख रूपये से बढ़कर वर्ष 2002–2003 में 2.81 लाख रूपये हो गई।

1.5 संग्रहण का विश्लेषण

वित्त (वाणिज्यकर) विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2002–2003 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर का कुल संग्रहण (कर निर्धारण के पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण के बाद) तथा विगत तीन वर्षो के तदनुरूपी आँकड़ों के अलग–अलग ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रूपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	निर्धारण के पूर्व संग्रहित राशि	नियमित निर्धारण के बाद संग्रहित राशि	कर एवं शुल्क के भुगतान में विलंब के लिए अर्थदंड	वापसी की राशि	विभाग के अनुसार कुल संग्रहण	वित्त लेखा के अनुसार कुल संग्रहण	कालम 8 से 3 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिक्री, व्यापार पर कर	1999-2000	1,995.22	58.03	1.04	-	2,054.29	2,067.79	96.49
	2000-2001	1,794.11	19.11	1.55	-	1,814.77	1,821.47	98.49
	2001-2002	1,387.17	7.94	-	-	1,395.06	1,412.96	98.17
	2002-2003	1,584.73	111.43	0.82	3.16	1,693.82	1,647.62	96.18

इस प्रकार नियमित कर निर्धारण के पश्चात् अर्थदंड सहित कर संग्रहण कुल कर संग्रहण का निम्न अंश था।

1.6 बकाया राजस्व का विश्लेषण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षो के अन्तर्गत 31 मार्च 2003 को बकाया राजस्व 1,485.14 करोड़ रूपये था, जिसमें से 690.43 करोड़ रूपये पाँच वर्षो से अधिक समय से लंबित था, जिसका ब्यौरा निम्नवत है:

[3] *वर्ष 1999–2000 के आंकड़े पूर्ववर्ती बिहार (झारखंड सहित) के प्राप्तियों को दर्शाता है जबकि वर्ष 2000–2001 के आंकड़े झारखंड को छोड़कर बिहार को दर्शाता है।*

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2003 को बकाया राशि	31 मार्च को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया	अभ्युक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,144.99	623.93	1,144.99 करोड़ रूपये में से 222.73 करोड़ रूपये की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 400.73 करोड़ रूपये की वसूली पर न्यायालय एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। 3.64 करोड़ रूपये की वसूली आवेदन के भूल सुधार/पुनर्विचार के कारण रूकी रही। शेष 517.89 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गई थी (जून 2003) विभाग द्वारा नही दी गयी (अगस्त 2004)
2.	जल दर	111.43	अप्राप्त	111.43 करोड़ रूपये में से 1.01 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाए भू–राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 5.14 करोड़ तथा 0.15 करोड़ रूपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। 0.63 करोड़ रूपये की वसूली आवेदन के भूल सुधार/पुनर्विचार के कारण रूकी रही। 0.81 करोड़ रूपये की राशि अपलेखन योग्य थी। 103.69 करोड़ रूपये के शेष बकाये के संबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गई थी (जून 2003) नही दी गयी (अगस्त 2004)।
3.	वाहनों पर कर	81.33	अप्राप्त	कुल बकाया 81.33 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये।
4.	अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	83.93	27.94	83.93 करोड़ रूप्ये में से 70.85 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 2.90 करोड़ रूपये उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गयी। शेष 10.18 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (जून 2003) नहीं दी गयी (अगस्त 2004)।
5.	राज्य उत्पाद	26.39	14.85	26.39 करोड़ रूपये में से 5.91 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाए भू–राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 4.80 करोड़ रूपये एवं 5.77 लाख रूपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। 8.05 लाख तथा 13.21 लाख रूपये की वसूली क्रमशः आवेदन के सुधार/संवीक्षा एवं व्यवसायी/दल के दिवालिया हो जाने के कारण रूकी रही। 3.32 करोड़ रूपये की माँग अपलेखन योग्य थी। शेष 12.09 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (जून 2003) नहीं दी गयी (अगस्त 2004)।
6.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	8.83	6.56	2.25 करोड़ रूपये की वसूली न्यायालय द्वारा रोकी गयी शेष 6.58 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में की गयी कार्रवाई की सूचना, यद्यपि माँगी गयी थी (जून 2003) नहीं दी गयी (अगस्त 2004)।
7.	ईख पर कर	20.04	13.26	20.24 करोड़ रूपये में से 8.68 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाया भू–राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 0.47 करोड़ रूपये तथा 10.89 करोड़ रूपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी।
8.	प्रवेश कर	4.76	1.44	4.76 करोड़ रूपये में से 0.02 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। शेष 4.74 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (जून 2003) नहीं दी गयी (मार्च 2004)।

9.	मनोरंजन कर	3.44	2.45	3.44 करोड़ रूपये में से 1.89 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 0.49 करोड़ रूपये की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी। शेष 1.06 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में की गयी कार्रवाई की सूचना, यद्यपि माँगी गयी थी (जून 2003) नही दी गयी (अगस्त 2004)।

1.7 बिक्री कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में बिक्री कर निर्धारण संबंधित लंबित मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निष्पादित किये गये मामले एवं वर्ष के अन्त में निष्पादन योग्य लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये, नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य नये मामले	कुल	वर्ष के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अन्त में शेष	कालम 6 की 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1998-1999	95,588	1,03,094	1,98,682	1,27,830	70,852	36
1999-2000	70,852	1,00,654	1,71,506	79,938	91,568	53
2000-2001	82,902[4]	96,560	1,79,462	50,407	1,29,055	72
2001-2002	1,29,055	1,23,660	2,52,715	55,077	1,97,638	78
2002-2003	1,97,638	69,069	2,66,707	58,495	2,08,212	78

बकाये मामलों को नियंत्रित रखने के लिए 1998–1999 में किये गये प्रयासों को बनाए रखते हुए बकाये में और कमी लाने हेतु और उपाय करने की आवश्यकता हैं।

1.8 कर का अपवंचन

विभागीय प्राधिकारियों द्वारा पता लगाये गये कर और शुल्क से संबंधित अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले एवं सृजित की गई अतिरिक्त कर की मांग जो संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये, नीचे दिये जा रहे हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	विभाग	31 मार्च 2002 को लंबित मामले	2002–2003 के दौरान पता लगाये गये मामले	मामलों की संख्या जिसमें निर्धारण/जाँच सम्पन्न हुए तथा अर्थदंड आदि सहित अतिरिक्त माँग सृजित की गयी		31 मार्च 2003 को निष्पादन के लिए लंबित मामले
				मामलों की संख्या	माँग की राशि	
1	वित्त (वाणिज्यकर)	339	478	536	4.10	281
2	सिंचाई	16	-	-	-	16

अन्य विभागों से भी सूचनायें माँगी गयी (जून 2003) किन्तु विभागीय उच्च अधिकारियों को अनेक स्मार देने एवं व्यक्तिगत संपर्कों के बाबजूद प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2004)।

---

4 *विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये एवं वर्ष 1999–2000 के ले.प. प्रतिवेदन में दिखाये गये अन्तशेष 91,568 से 8,666 का अन्तर है। विभाग ने अन्तर का कारण झारखंड के मामलों को हटाया जाना बताया।*

1.9 वापसी

वर्ष 2002–2003 के आरम्भ में वापसी से संबंधित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत्त वापसी तथा वर्ष मार्च 2003 के अन्त में लंबित मामले जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किये गये थे, नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रूपये में)

		बिक्री कर		विद्युत पर शुल्क एवं कर		राज्य उत्पाद	
		मामलों की संख्या	राशि	ममलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ मे बकाया दावे	2,914	6.51	-	-	2,850	3.76
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	157	3.46	1	0.01	1,056	2.04
3.	वर्ष के दौरान किये गये वापसी	47	3.16	-	-	1,050	2.32
4.	वर्ष के अन्त मे बकाया शेष	3,024	6.81	1	0.01	2,856	3.48

1.10 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–2003 के दौरान बिक्री कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक तथा निबंधन फीस, विद्युत शुल्क अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 13,180 मामलों में निहित 292.74 करोड़ रूपये के राजस्व का अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि का पता चला। वर्ष 2002–2003 के दौरान, संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारण इत्यादि के 37 मामलों में 0.48 करोड़ रूपये के आपत्तियों को स्वीकार किया गया जो वर्ष 2002–2003 के पूर्व वर्षो से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण, शुल्क, ब्याज तथा अर्थदंड आदि से संबंधित दो समीक्षाओं सहित 26 कंडिकाएँ हैं जिनमें 175.15 करोड़ रूपये सन्निहित हैं। लेखा परीक्षा में बताये गये अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के मामलों में, ये मामले महत्वपूर्ण मामलों को निरूपित करते है। विभाग/सरकार ने 37 मामलों में 0.48 करोड़ रूपये की लेखा परीक्षा अभियुक्तियाँ स्वीकार किया है। अन्य मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

1.11 उत्तरदायित्व प्रवर्तित करने तथा सरकार के हित की रक्षा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

प्रधान महालोखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन–देन की नमूना जाँच एवं महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। उनके निरीक्षण, के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमिततओं इत्यादि को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) में अनुवर्तित किये जाते हैं, जो निरीक्षण कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु, जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार द्वारा, नि.प्र. में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालन की जानी तथा त्रुटियों एवं चूकों का शीघ्र सुधार किया जाना तथा नि.प्र. जारी किये जाने की तिथि से छः सप्ताह के अन्दर प्रधान

महालेखाकार को प्राथमिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन पर रिपोर्ट भेजी जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के अध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2002 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों ने प्रकट किया कि जून 2003 के अन्त तक 7,052 नि.प्र. से संबंधित 2,589.57 करोड़ रूपये मूल्य से आवेष्टित 30,989 कंडिका बकाया थे। यहाँ तक कि दिसम्बर 2002 तक जारी 1,948 नि.प्र. के संबंध में प्राथमिक उत्तर जो कि नि.प्र. जारी होने के छः सप्ताह के अन्दर प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे, कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त नहीं हुए थे।

(क) निम्नलिखित विभागों से संबंधित बकाया लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ नीचे दिये गये हैः

(करोड़ रूपये में)

			बकायों की संख्या			
क्रमांक	विभाग	राजस्व शीर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	नि.प्र. की कंडिका	अधिकतम समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित है	शामिल राशि
1	राजस्व	भू–राजस्व	4,236	13,999	1980-1981	549.87
2	वित्त (वाणिज्यकर)	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	805	5,712	1982-1983	497.03
3	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	राज्य उत्पाद	661	4,217	1981-1982	652.33
4	परिवहन	वाहनों पर कर	418	3,326	1981-1982	65.78
5	खान एवं भूगर्भ	अ–लौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	299	1,502	1982-1983	76.52
6	जल संसाधन	जल दर	397	1,629	1982-1983	579.88
7	ईख	ईख पर कर	185	470	1981-1982	98.91
8	वन तथा पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	51	134	1981-1982	69.25
		कुल	**7,052**	**30,989**		**2,589.57**

(ख) निरीक्षण प्रतिवेदन जिनके प्राथमिक उत्तर विभाग द्वारा नहीं दिये गयेः

विभाग	राजस्व शीर्ष	नि.प्र. की संख्या जिनके प्राथमिक उत्तर अप्राप्त है	अधिकतम समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित हैं
1. राजस्व	भू–राजस्व	1,384	1982-1983
2. उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	54	1982-1983
3. परिवहन	वहनों पर कर	124	1981-1982
4. वित्त (वाणिज्यकर)	(1) बिक्री, व्यापार आदि पर कर	62	1999-2000
	(2) विद्युत शुल्क (3) माल तथा यात्री पर कर (4) मनोरंजन कर	20	1999-2000
5. राजस्व (निबंधन विभाग)	मुद्रांक तथा निबंधन फीस	141	1984-1985
6. खान एवं भू–गर्भ	अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	62	1982-1983
7. ईख	ईख पर कर	59	1981-1982
8. जल संसाधन	जल दर	28	1998-1999
9. वन तथा पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	14	1984-1985
	कुल	**1,948**	

उत्तरों की अप्राप्ति के कारण नि.प्र. का यह वृहद विलम्बन नि.प्र. में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी गलतियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करने में कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों की विफलता का सूचक है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाने चाहिए कि (क) लेखा परीक्षा अभियुक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने (ख) निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नि.प्र./कंडिकाओं के उत्तर भेजने में विफल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने (ग) समयबद्ध पद्धति में हानि/बकाया माँग वसूल करने हेतु कार्यवाही करने हेतु एक कारगर प्रक्रिया विद्यमान है।

1.12 विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठकें

सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट बकाया लेखा परीक्षा अभियुक्तियों के शीघ्र निपटान हेतु विभागीय लेखा परीक्षा समितियाँ गठित की गई थी। समितियों की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा की जाती है जिनमें अन्य के साथ राज्य सरकार एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार के कार्यालय के संबंधित अधिकारी उपस्थित होते हैं।

लेखा परीक्षा अभियुक्तियों/लेखा परीक्षा कंडिकाओं के निपटान की प्रगति मॉनीटर करने तथा समीक्षा करने हेतु त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जानी अपेक्षित थी। वर्ष 2002–2003 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की मात्र चार बैठकें आयोजित की गयी। अधिकांश सरकारी विभागों ने इस बैठक के माध्यम से बकाया लेखा परीक्षा अभियुक्तियाँ निपटाने हेतु कोई प्रारम्भिक कदम नहीं उठाये। सरकार को, कारगर प्रगति हेतु इस समिति की आवधिक बैठकें सुनिश्चित करनी चाहिए।

1.13 प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के उत्तर

वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर अपने उत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेजे। प्रधान महालेखाकार द्वारा प्रारूप कंडिकाओं को, अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित विभागों के सचिवों को लेखा परीक्षा उपलब्धियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उत्तर भेजने हेतु उनको अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अन्त में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित दो समीक्षाओं सहित 26 प्रारूप कंडिकायें संबंधित विभागों के सचिवों को जून से सितम्बर 2003 के दौरान अर्द्ध शासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किए गये थे।

विभिन्न विभागों के सचिवों ने 26 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर प्रेषित नहीं किया। अतः इस प्रतिवेदन में सभी 26 कंडिकाओं को सरकार के जबाब के बिना ही शामिल कर लिया गया।

अध्याय–II : बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–2003 के दौरान विभिन्न वाणिज्यकर अंचलों में बिक्री कर निर्धारण एवं वापसी संबंधी अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच से 345 मामलों में 131.84 करोड़ रुपये की राशि के अवनिर्धारण का पता चला, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर से छूट की गलत अनुमति	124	61.92
2.	कर के रियायती दर की गलत अनुमति	12	0.42
3.	बिक्री राशि के गलत निर्धारण के कारण कर का कम लगाया जाना	61	14.77
4.	अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना	46	8.44
5.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का नहीं/कम लगाया जाना	28	1.12
6.	गलत दरों से कर का लगाया जाना	22	27.46
7.	**समीक्षा** : घोषणाप्रपत्रों/प्रमाणपत्रों का लेखापित होना तथा उपयोगिता	1	15.54
8.	अन्य मामले	51	2.17
	कुल	**345**	**131.84**

वर्ष 2002–2003 के दौरान सम्बद्ध विभाग द्वारा उक्त वर्ष के पूर्व लेखापरीक्षा में उठाये गए 23 मामलों के संदर्भ में 0.37 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण को स्वीकार किया गया।

दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले जिसमें 28.40 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त **"घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों का लेखापित होना तथा उपयोगिता"** पर एक समीक्षा हैं, अनुवर्त्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :

2.2 समीक्षा : घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों का लेखापित होना तथा उपयोगिता

मुख्याकर्षण

विभिन्न घोषणा प्रपत्रों की भंडार पंजी के संधारण में अनियमितता।
(कंडिका 2.2.4)

व्यवसायियों द्वारा त्रुटिपूर्ण घोषणा प्रपत्रों के उपयोग के फलस्वरूप 2.97 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण।
(कंडिका 2.2.10)

क्रय/विक्रय राशि के छिपाव के फलस्वरूप 9.81 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण।
(कंडिका 2.2.14)

घोषणा प्रपत्रों का गलत उपयोग के फलस्वरूप 26.78 लाख रुपये के कर का अवनिर्धारण।
(कंडिका 2.2.17)

प्रस्तावना

2.2.1 केन्द्रीय बिक्री कर (के. बि. क.) अधिनियम 1956, बिहार वित्त अधिनियम (बि. वि. अ.), 1981 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं जारी किये गये अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य के उत्थान के लिए व्यवसायियों को तथा उद्यमों के त्वरित उत्थान हेतु औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है। ऐसे प्रोत्साहन सरकार द्वारा निर्दिष्ट घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण पर दिये जाते हैं। घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों जिसके आधार पर कर में रियायत दी जाती है जिससे खजाने पर भारी रकम का राजस्व निहित है, का उचित लेखा सुनिश्चित करना तथा इसके दुरूपयोग के विरूद्ध आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना विभाग का दायित्व है।

निबंधित व्यवसायी का दावा यदि अधिनियम, नियमों एवं समय–समय पर निकाले गये अधिसूचना में विहित घोषणा प्रपत्रों, प्रमाण पत्रों से समर्थित हो तो बिक्री कर/रियायती दर पर कर अथवा विशेष दर पर कर की छूट प्रदान की जाती है। चूँकि छूट/रियायत का अर्थ राजस्व छूटना है, अतः घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों का उचित लेखा एवं छूट/रियायत प्रदान करने हेतु घोषणा प्रपत्रों के उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कुशल आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अत्यावश्यक है।

संगठनात्मक ढाँचा

2.2.2 वाणिज्यकर विभाग में अधिनियमों एवं नियमों के परिपालन के लिए शीर्ष स्तर पर वाणिज्य कर आयुक्त (वा. क. आ.) उत्तरदायी हैं। उन्हें एक वाणिज्यकर अतिरिक्त आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त द्वारा सहयोग किया जाता है। अन्वेषण ब्यूरो (अ. ब्यू.) निगरानी एवं अनुश्रवण प्रभाग भी उनके अधीन कार्यरत है। राज्य सात वाणिज्यकर प्रमंडलों में विभाजित है जिसमें प्रत्येक के प्रभार में संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) तथा संयुक्त आयुक्त (अपील) होते हैं। ये प्रमंडल पुनः अंचलों में विभाजित है जिसके प्रभार में उपायुक्त (उ. वा. आ.)/सहायक वाणिज्यकर आयुक्त (स. वा.आ.) कर नियमों के परिपालन हेतु होते हैं।

लेखापरीक्षा का उद्येश्य

2.2.3 कार्यालय वाणिज्यकर आयुक्त (वा.आ.), सात प्रमंडलों में से चार तथा 46 अंचलों में से 19 में संधारित वर्ष 1996–1997 से 2002–2003 तक के अभिलेखों की संवीक्षा जनवरी से जून 2003 की अवधि में निम्नवत की गयी :

- घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति/निर्गम के अभिलेखों के उचित संधारण संबंधी जाँच हेतु।
- अधिनियम तथा नियमों के अनुकूल कर में छूट अथवा रियायती दर पर कर लगाये जाने की जाँच हेतु।
- सुसंगत प्रावधानों के पालन की सुनिश्चतता हेतु विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का पता लगाने हेतु।

घोषणा प्रपत्रों के प्राप्तियों और उपयोग के लेखा का संधारण

2.2.4 बिहार वित्त अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत वाणिज्यकर आयुक्त द्वारा विहित घोषणाओं का प्रपत्र IX, IX सी तथा XXVIII बी प्रमंडलों को अपने क्षेत्र के अंचलों में आपूर्ति हेतु भेजे जाते है। वार्षिक कुल आवश्यकता के आकलन के पश्चात् प्रमंडलों/अंचलों की माँग पर घोषणा प्रपत्रों का मुद्रण मुख्यालय द्वारा प्रेस में गुप्त रूप से कराया जाता है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषणा प्रपत्र भारत के सरकारी प्रेस, नासिक से प्राप्त कर वाणिज्यकर आयुक्त उसे अंचल में वितरण हेतु अपने प्रमंडलों को भेजते हैं।

अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कर में छूट अथवा रियायती दर पर कर देने के लिए घोषणा प्रपत्र अंचल कार्यालयों द्वारा निबंधित व्यवसायियों को अन्य निबंधित व्यवसायी को प्रेषण हेतु तथा उनके निबंधन प्रमाण पत्र में वर्णित उद्येश्यों के लिए निर्गत किये जाते हैं। व्यवसायीगण प्राप्त एवं उपभुक्त घोषणा प्रपत्रों की सामयिक उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित अंचल कार्यालय को भेजते हैं ; जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से अभिलेखित किया जाता है। जब तक व्यवसायी द्वारा पूर्व निर्गत प्रपत्रों की उपयोगिता की लेखा जमा नहीं करता तब तक अंचल कार्यालय द्वारा घोषणा–प्रपत्र निर्गत नहीं किया जाना है।

लेखापरीक्षा के क्रम में पाये गये घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम तथा उपयोग में अनियमिततायें अनुवर्त्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं :

प्राप्ति तथा निर्गम

उपर्युक्त घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति तथा निर्गम का लेखांकन प्रमंडल तथा अंचल कार्यालयों द्वारा पृथक भंडार पंजी में विभिन्न घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति एवं निर्गम दर्शाते हुये किया जाता है। जब प्रपत्र व्यवसायी को दिये जाते हैं, तो संधारित पंजी में व्यवसायी का हस्ताक्षर लिया जाता है।

2.2.5 कार्यालय, वाणिज्यकर आयुक्त, साथ ही 19 अंचलों में से सात के अभिलेखों की नमूना जाँच के क्रम में घोषणा प्रपत्रों की लेखा के संधारण में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गई :

क्रमांक	अंचल/कार्यालय का नाम	भंडार पंजी का नाम	भेद/अनियमिततायें
1.	वाणिज्यकर आयुक्त, बिहार, पटना	प्रपत्र सी[1] (केन्द्रीय) की भंडार पंजी	भंडार पंजी 10 नवम्बर 1995 को शून्य आदि शेष के साथ खोली गयी। 1 अप्रील 1996 से 16 अक्टूबर 2000 की अवधि में प्राप्ति, निर्गम एवं अन्तशेष नहीं लिखा गया तथा 17 अक्टूबर 2000 का अन्तशेष सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं कराया गया।
2.	तथैव	प्रपत्र एफ[2] की भंडार पंजी	14 जनवरी 1994 को खोले गए भंडार पंजी में आदि शेष नहीं दर्शाया गया। पंजी की प्रविष्टियों को किसी अधिकारी से हस्ताक्षरित नहीं कराया गया।
3.	तथैव	प्रपत्र Ixसी[3], IX[4] तथा XXVIII बी[5]	1 अप्रील 1996 से 22 दिसम्बर 1997 तक की अवधि की प्रपत्र IX, IXसी तथा XXVIII बी की भंडार पंजी तथा निर्गत पंजी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। 23 दिसम्बर 1997 को आरम्भ नयी पंजी में आदिशेष को नहीं दर्शाया गया।
4.	मुजफ्फरपुर अंचल	प्रपत्र IX सी की भंडार पंजी एवं निर्गम पंजी	व्यवसायियों से पंजी में पावती लिए बिना 10 प्रपत्रों का निर्गमन।
5.	पटना सिटी पूर्वी	प्रपत्र IX की भंडार पंजी	29 जनवरी 1999 के 2,750 प्रपत्रों का अन्तशेष 30 जनवरी 1999 के आदिशेष के रूप में नहीं दर्शाया गया।
6.	तथैव	प्रपत्र 'सी' की भंडार पंजी एवं निर्गम पंजी	9 मार्च 1999 से 17 मई 1999 की अवधि में भंडार पंजी से 115 प्रपत्रों की संख्या कम कर दी गयी किन्तु इसे दैनिक

---

1 *अन्तर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के क्रम में निबंधित व्यवसायी द्वारा रियायती दर पर कर के लिए क्रय हेतु उपयुक्त।*

2 *राज्य से बाहर शाखा स्थानान्तरण/खेप विक्रय हेतु कर में छूट के लिए उपयुक्त।*

3 *बाद की बिक्री जैसे कि माल, जिस पर कि सिर्फ प्रथम बिक्री बिन्दु पर ही कर आरोप्य है, की प्रथम बिक्री के बाद विक्रय में उपयुक्त।*

4 *राज्य में एक निबंधित व्यवसायी से दूसरे ऐसे व्यवसायी के बीच माल की पुनर्बिक्री हेतु उपयुक्त।*

5 *एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन हेतु उपयुक्त।*

क्रमांक	अंचल/कार्यालय का नाम	भंडार पंजी का नाम	भेद/अनियमिततायें
			निर्गत पंजी में दर्ज नहीं किया गया।
7.	पटना सिटी , पूर्वी	प्रपत्र IX सी की भंडार पंजी	बिना कोई कारण बताये 25 IXसी प्रपत्रों को रद्द कर दिया गया।
8.	भागलपुर अंचल	XXVIII बी (गुलाबी) की भंडार पंजी	24 मार्च 1998 से 27 जुलाई 1999 की अवधि में भंडार पंजी में 50 प्रपत्र कम कर दिया गया तथा पुनः 10 से 14 महीना पश्चात् 5 मई 2000 को इसे भंडार पंजी में ले लिया गया।
9.	तथैव	प्रपत्र IX एवं IX सी की भंडार पंजी	7 फरवरी 1998 को (प्रपत्र IX) 18 फरवरी 1998 (प्रपत्र IX सी) को अन्तशेष नहीं दर्ज किया गया फलस्वरूप प्रपत्रों की कमी हो गयी।
10.	पटना पश्चिमी अंचल	प्रपत्र IX सी की भंडार पंजी	व्यवसायियों को 18 जनवरी 1999 को सात बही बिना हस्ताक्षर लिए निर्गत किया गया।
11.	हाजीपुर अंचल	प्रपत्र IX सी की भंडार पंजी	4 मार्च 1998 तक 1,831 प्रपत्रों के पूर्ववर्त्ती शेष को अंकित किए बगैर 25 अप्रील 1998 को प्राप्त 2,000 प्रपत्रों को 27 अप्रील 1998 के आदि शेष में दर्शाया गया।
12.	तथैव	प्रपत्र IX की भंडार पंजी	5 जून 1998 का अन्तशेष मात्र 375 प्रपत्र दर्शाया गया, पूर्व शेष 1,761 प्रपत्रों को अंकित नहीं किया गया।
13.	सासाराम अंचल	प्रपत्र XXVIII बी की भंडार पंजी	11 मार्च 1998 को 1,000 प्रपत्र प्राप्त किये गये और अंकित किया गया किन्तु पूर्व शेष 105 प्रपत्रों को अंकित नहीं किया गया।

2.2.6 बिहार बिक्री कर (बि. बि. क.) नियमावली 1983 के प्रावधानों के अन्तर्गत अंचल कार्यालयों से प्रपत्रों की चोरी, बर्बादी या गायब होने की सूचना प्राप्त होने पर वाणिज्यकर आयुक्त उन प्रपत्रों को उस तिथि से जो सूचना में अंकित हो, उक्त घोषणा प्रपत्रों को गलत उपयोग से बचाने हेतु उसे निरस्त घोषित कर सकता है।

वाणिज्यकर आयुक्त, बिहार के अभिलेखों के अनुसार चोरी या गुम हुए प्रपत्रों को कार्यालीय गजट में प्रकाशन हेतु भेजने में घटना से 1 वर्ष 2 महीने से 6 वर्ष 2 महीने तक की देरी की गयी जो निम्नवत है :

क्रमांक	अंचल का नाम	प्रपत्र संख्या	प्रपत्रों की संख्या	चोरी/गुमशुदगी की तिथि	सूचना प्रकाशन की तिथि	देरी की अवधि
1.	पाटलिपुत्र	प्रपत्र–एफ डी–499480 से डी–499484	5	21 जनवरी 1994	15 मार्च 2000	6 वर्ष 2 माह
2.	बक्सर	प्रपत्र XXVIII बी 511047 से 511049	3	20 अगस्त 1995	27 जनवरी 2000	4 वर्ष 5 माह
3.	बाढ़	प्रपत्र IX सी बी–681099 से 682099 682175 से	5	2 दिसम्बर 1996	3 जुलाई 2000	3 वर्ष 7 माह

क्रमांक	अंचल का नाम	प्रपत्र संख्या	प्रपत्रों की संख्या	चोरी/गुमशुदगी की तिथि	सूचना प्रकाशन की तिथि	देरी की अवधि
		682263 683554				
4.	पटना दक्षिण	प्रपत्र XXVIII बी बी सी 390075	1	9 मई 1998	8 जुलाई 1999	1 वर्ष 2 माह
5.	सीतामढ़ी	प्रपत्र XXVIII बी बी सी 017771	1	17 मार्च 1998	11 अप्रील 2000	2 वर्ष 1 माह
6.	रक्सौल	प्रपत्र XXVIII बी बी सी 018600	1	29 मई 1998	18 नवम्बर 1999	1 वर्ष 6 माह
7.	तथैव	प्रपत्र XXVIII बी बी सी 809502	1	3 अप्रील 1998	15 दिसम्बर 1999	1 वर्ष 8 माह
8.	पटना उतरी	प्रपत्र XXVIII बी डी 310488	1	4 मार्च 1998	25 फरवरी 2000	2 वर्ष
9.	पटना दक्षिण	प्रपत्र IX सी ए–826173 से 826175 बी–149182 से 149187 बी–149193 से 149194	11	26 जुलाई 1998 26 दिसम्बर 1998	11 अप्रील 2000	1 वर्ष 9 माह

स्पष्टतया वाणिज्यकर आयुक्त ने उपर्युक्त प्रपत्रों को निरस्त एवं अवैध घोषित करने सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत करने में अधिक देरी की। अतएव, मध्यवर्त्ती अवधि में उक्त प्रपत्रों का प्रयोग से नकारा नहीं जा सकता।

2.2.7 वाणिज्यकर उपायुक्त, मुजफ्फरपुर अंचल कार्यालय में प्रपत्र 'एफ' की भंडार पंजी की समीक्षा से पता चला कि पाँच प्रपत्र गुम एवं 167 प्रपत्र क्षतिग्रस्त पाये गये लेकिन इन प्रपत्रों को निरस्त एवं अवैध घोषित करने हेतु सूचना वाणिज्यकर आयुक्त को नहीं भेजा गया।

उपयोगिता

घोषणा प्रपत्रों का गलत निर्गम

सरकार ने जनवरी 1998 में एक अधिसूचना के द्वारा पूर्व के प्रपत्रों (गया प्रेस में मुद्रित) को निरस्त एवं अवैध घोषित करते हुए नये घोषणा प्रपत्रों IX, IX सी एवं XXVIII बी को 01 फरवरी 1998 से जारी किया।

2.2.8 पाँच अंचलों के अभिलेखों की नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि सरकार द्वारा निरस्त एवं अवैध घोषित किये जाने के पश्चात् सहायक वाणिज्यकर आयुक्त द्वारा व्यवसायियों को 1,908 घोषणा प्रपत्रों IX, IX सी तथा XXVIII बी निर्गत किया गया।

फलस्वरूप निरस्त/अवैध घोषित घोषणा प्रपत्रों का उपयोग किया गया तथा व्यवसायियों को उक्त अवैध प्रपत्रों के आधार पर कर से छूट/रियायत का लाभ प्रदान किया गया।

क्रमांक	स. वा. आ. का नाम	प्रपत्रों के प्रकार	प्रपत्रों की संख्या	निर्गम की तिथि
1.	मोतिहारी अंचल	IX सी	125 पन्ने	12 फरवरी 1998 से 27 मार्च 1998
	तथैव	IX सी	36 पन्ने	19 मार्च 1998 से 30 अप्रील 1998
2.	बेतिया अंचल	IX	265 पन्ने	3 फरवरी 1998 से 27 फरवरी 1998
	तथैव	IX	30 पन्ने	10 फरवरी 1998
3.	कटिहार अंचल	IX	200 पन्ने	4 फरवरी 1998 से 10 फरवरी 1998
	तथैव	IX सी	545 पन्ने	2 फरवरी 1998 से 20 फरवरी 1998
4.	बेगूसराय अंचल	XXVIII बी	500 पन्ने	3 फरवरी 1998 से 24 फरवरी 1998
	तथैव	IX	32 पन्ने	3 फरवरी 1998 से 24 फरवरी 1998
5.	हाजीपुर अंचल	IX सी	150 पन्ने	19 फरवरी 1998
	तथैव	IX	25 पन्ने	5 फरवरी 1998
	कुल		**1,908 पन्ने**	

इसे बताये जाने पर सहायक वाणिज्यकर आयुक्त, बेतिया, कटिहार तथा हाजीपुर ने कहा कि अंचल कार्यालयों में अधिसूचना बिलम्ब से प्राप्त हुआ जबकि सहायक वाणिज्यकर आयुक्त, मोतिहारी तथा बेगूसराय ने कहा कि वस्तुस्थिति की जाँच की जायगी। व्यवसायियों को निर्गत किये गये उक्त प्रपत्रों के दुरूपयोग को रोकने के लिए विभाग ने आगे कोई कार्रवाई नहीं किया। अंचलों को समय पर अधिसूचना नहीं भेजने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप अवैध प्रपत्रों का दुरूपयोग एवं उस पर करों में गलत छूट/रियायत दी गयी।

घोषणा प्रपत्रों का दुरूपयोग

जनवरी 1998 में निर्गत अधिसूचना के अनुसार निबंधित व्यवसायियों द्वारा अव्यवहृत प्रपत्र 15 दिनों के अन्दर जारी करने वाले प्राधिकारी को लौटा दिया जाना था।

2.2.9 आठ अंचल कार्यालयों[6] के 24 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेख की नमूना जाँच में पता चला कि 235 निरस्त एवं अवैध घोषित IX सी प्रपत्र 20 जून 1998 से 8 जुलाई 2001 की अवधि में रियायती दर पर करों में छूट पाने हेतु बिक्रेता व्यवसायियों द्वारा निर्गत किये गये। फलस्वरूप 24.53 लाख रुपये की करों में रियायत/छूट की गलत अनुमति दी गयी।

बिहार वित्त अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कर में छूट/रियायत पाने के लिए बिक्रेता/क्रेता व्यवसायी को विहित घोषणा प्रपत्र "मूल रूप में" भरा हुआ एवं प्रथम/पूर्वी व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र प्रस्तुत करना है।

---

[6] *बेगूसराय, बेतिया, दरभंगा, कटिहार, मोतिहारी, पटना उत्तरी, पटना सिटी पश्चिमी तथा पूर्णियाँ।*

व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत द्वितीयक घोषणा प्रपत्र पर कर में छूट/रियायत की अनुमति नहीं दी जा सकती।

2.2.10 दस अंचल कार्यालयों[7] के अभिलेखों की नमूना जाँच में मार्च 1998 से दिसम्बर 2002 की अवधि में द्वितीयक घोषणा प्रपत्रों पर कर में छूट/रियायत के 20 मामले पाये गये। फलस्वरूप कर में 2.97 करोड़ रुपये के छूट की गलत अनुमति दी गयी।

वैसे घोषणा प्रपत्रों पर जो निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित नहीं है तथा अपूर्ण भरा हुआ घोषणा प्रपत्र यथा क्रेता व्यवसायी का नाम, उनका निबंधन संख्या आदि के बिना कर में छूट/रियायत नहीं दिया जा सकता।

2.2.11 लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आठ अंचल कार्यालयों[8] के 18 व्यवसायियों के मामलों में घोषणा प्रपत्र जिनका विपत्र संख्या एवं तिथि सम्बन्धित अवधि का नहीं था उन पर कर निर्धारण पदाधिकारियों ने मार्च 1998 से जुलाई 2001 की अवधि में कर में छूट/रियायत की अनुमति प्रदान की। त्रुटिपूर्ण प्रपत्रों के आधार पर कर में अनियमित छूट/रियायत प्रदान करने से 30.87 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

2.2.12 दो अंचल कार्यालयों (भागलपुर एवं पटना विशेष) के चार मामलों में पाया गया कि घोषणा प्रपत्र, जिन पर विपत्र/चालान संख्या एवं तिथि तथा क्रेता व्यवसायियों के निबंधन संख्या अंकित नहीं थे, के आधार पर वर्ष 1997–1998 से 1999–2000 की अवधि में कर में छूट/रियायत की अनुमति दी गयी। फलस्वरूप 54.96 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

उपयोगिता प्रमाणपत्र का नहीं/देर से जमा होना

बिहार बिक्री कर नियमावली तथा उसके तहत निर्गत अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्रत्येक निबंधित व्यवसायी को जिसे उचित प्राधिकारी द्वारा कोई घोषणा प्रपत्र निर्गत किया गया हो ; उस प्रत्येक प्रपत्र का पूर्ण लेखा रखना होगा। व्यवसायी उचित प्राधिकारी को, व्यवसायी का नाम जिसे प्रपत्र निर्गत किया गया हैं, विपत्र संख्या तथा तिथि एवं माल का मूल्य सहित विवरण दर्शाते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

2.2.13 छः व्यवसायियों के मामले में पाया गया कि या तो उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया या निर्गम तिथि से एक लम्बी अवधि के बाद (34 माह से 60 माह) प्रस्तुत किया गया।

अंचल का नाम	प्रपत्र का नाम (संख्या)	व्यवसायी का नाम तथा निबंधन सं.	प्रपत्र निर्गम तिथि	अभ्युक्ति
पटना विशेष अंचल	प्रपत्र 'सी' (19)	मे. जगदम्बा प्लाइउड एस. एल.–653 (आर)	20 जुलाई 1999	मई 2003 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
–तथैव–	प्रपत्र 'सी' (2)	मे. ओरियेन्ट जेनरल इन्डस्ट्रीज एस. एल.–699 (आर)	19 मार्च 1999	तथैव

[7] *बेगूसराय, बेतिया, दरभंगा, मोतिहारी, नवादा, पूर्णियाँ, पाटलिपुत्र, पटना पश्चिमी, पटना सिटी पश्चिमी एवं सासाराम*

[8] *बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, गया, मोतिहारी, पटना सिटी पश्चिमी, पूर्णियाँ तथा सासाराम*

अंचल का नाम	प्रपत्र का नाम (संख्या)	व्यवसायी का नाम तथा निबंधन सं.	प्रपत्र निर्गम तिथि	अभ्युक्ति
पटना उत्तरी अंचल	प्रपत्र 'सी' (5)	मे. प्लास्टिक वर्क्स पीकृटी.. एन.–293 (आर)	24 जून 1998	तथैव
–तथैव–	XXVIII बी (25) (गुलाबी)	मे. साउन्ड एवं म्यूजिक पी. टी. एन.–10 (आर)	23 मार्च 1996	34 महीने की देरी से 2 फरवरी 1999 को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।
–तथैव–	XXVIII बी (15)	तथैव	2 फरवरी 1999	48 माह बाद 12 मार्च 2003 को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।
–तथैव–	तथैव (2) (हरा)	तथैव	20 फरवरी 1999	39 माह बाद 7 जून 2002 को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।
–तथैव–	IX 'सी' (25)	मे. इन्डो नेशनल कम्पनी, पीकृटी.. एन.–2 (आर)	17 मार्च 1998	60 माह बाद 12 मार्च 2003 को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।
–तथैव–	तथैव (125)	मे. एबौट लैब पी. टी. एन.–104 (आर)	10 अप्रील 2001	मई 2003 तक नहीं प्रस्तुत किया गया।
–तथैव–	–तथैव– (100)	–तथैव–	29 जून 2001	–तथैव–
–तथैव–	–तथैव– (75)	–तथैव–	28 जून 2002	–तथैव–

क्रय/विक्रय राशि के छिपाव को नहीं उजागर करना

बिहार वित्त अधिनियम के साथ पठित के. बि. क. अधिनियम के अन्तर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने बिक्री राशि के ब्यौरे को जानबूझ कर छिपाया, छोड़ा या प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसी बिक्री राशि के लिए गलत विवरण दिया है और जिसके कारण उसके द्वारा वास्तविक राशि से कम की विवरणी दाखिल की गयी है, तो उक्त पदाधिकारी को वैसी बिक्री राशि पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निधारण करना है तथा निर्धारित किये गये कर के अतिरिक्त छिपायी गयी बिक्री राशि पर, दंडस्वरूप कर का अधिकतम

तीन गुणा, किन्तु कम से कम कर की समतुल्य राशि भुगतान करने के लिए व्यवसायी को निर्देश देना है।

2.2.14 16 वाणिज्यकर अंचलों के 94 मामलों में कर निर्धारण अभिलेखों एवं व्यवसायियों द्वारा प्रदत्त घोषणा प्रपत्रों 'सी' तथा 'एफ' की उपयोगिता प्रमाण पत्रों से लेखापरीक्षा द्वारा राज्य के बाहर से एकत्रित सूचना की तिर्यक जाँच में यह पाया गया कि निर्धारण अवधि वर्ष 1995–1996 से 2001–2002 के दौरान जून 1996 से जनवरी 2003 की अवधि में निर्धारित, व्यवसायियों ने घोषणा प्रपत्रों पर खरीदे/बेचे गये या स्थानान्तरित मालों की राशि 28.47 करोड़ रुपये छिपाया जो विभाग द्वारा असंसूचित रहा। क्रय/बिक्री के छिपाव को रोकने में विभाग की विफलता के कारण अतिरिक्त कर तथा अधिभार एवं 7.20 करोड़ रुपये का अर्थ दंड सहित 9.81 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

2.2.15 वाणिज्यकर उपायुक्त, मुजफ्फरपुर तथा पटना पश्चिमी के दो व्यवसायियों के अभिलेखों की तिर्यक जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 1998–1999 में बिक्रेता व्यवसायी ने प्रपत्र IX 'सी' से समर्थित 31.61 लाख रुपये का खाद एवं कीटनाशक एक अन्य अंचल के व्यवसायी को बेचा जबकि क्रेता व्यवसायी के विवरण के अनुसार उसी प्रपत्र पर उसने 2.25 करोड़ रुपये के माल का क्रय किया। फलस्वरूप बिक्री राशि 1.93 करोड़ रुपये कम दर्शायी गयी जिसपर बिक्रेता व्यवसायी को अर्थदंड 34.80 लाख रुपये सहित कर के रूप में 47.56 लाख रुपये की देनदारी थी।

2.2.16 वाणिज्यकर उपायुक्त, मुजफ्फरपुर के एक अन्य मामले में एक बिक्रेता व्यवसायी ने वर्ष 1999–2000 में अन्य अंचल के दूसरे क्रेता व्यवसायी को प्रपत्र IX 'सी' निर्गत कर 1.46 करोड़ रुपये का सिन्थेटिक एडहेसिव बेचा लेकिन बिक्री की राशि अंचल को भेजे गये उपयोगिता प्रमाण पत्र में 46.36 लाख रुपये ही दर्शाया। फलस्वरूप बिक्रेता व्यवसायी द्वारा 1 करोड़ रुपये की बिक्री कम लेखापित किया गया जिसपर उसे अर्थदंड 27.24 लाख रुपये सहित 37.23 लाख रुपये के कर की देनदारी थी।

छूट की गलत स्वीकृति

बि. वि. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक निबंधित व्यवसायी दूसरे निबंधित व्यवसायी से माल खरीद सकता है यदि माल पर कर राज्य में अन्तिम बिन्दु पर लगता हो ; ऐसे मामलों में एक निबंधित व्यवसायी द्वारा दूसरे निबंधित व्यवसायी को किया गया प्रत्येक पूर्ववर्त्ती विक्रय पर कर आरोपित नहीं होता अगर बिक्रेता व्यवसायी क्रेता व्यवसायी से पूर्णरूपेण भरा हुआ तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा प्रपत्र IX प्राप्त किया हो।

2.2.17 निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि नौ अंचल कार्यालयों[9] में 14 व्यवसायियों के मामले में वर्ष 1995–1996 से 2000–2001 की अवधि में घोषणा प्रपत्र IX में यह दर्शाते हुए कि माल पर अंतिम बिन्दु पर कर आरोप्य है ; 2.89 करोड़ रुपये के कर की छूट की अनुमति प्रदान की गई जबकि बिक्री विशिष्ट वस्तु की थी ; माल पर कर प्रथम बिन्दु पर ही आरोप्य था तथा विशेष माल जिसपर कर अंतिम बिन्दु पर आरोप्य था ; प्रपत्र IX सी' पर उसे प्रथम बिन्दु पर कर आरोपित किया गया।

---

[9] *मुजफ्फरपुर, पटना उत्तरी, बेगूसराय, पटना पश्चिमी, पटना दक्षिणी, भागलपुर, मोतिहारी, पटना सिटी पश्चिमी तथा गया।*

घोषणा प्रपत्रों के दुरूपयोग रोकने में विभाग की विफलता तथा गलत छूट देने के फलस्वरूप 26.78 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

2.2.18 वाणिज्यकर उपायुक्त, मुजफ्फरपुर कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि दो व्यवसायियों के मामले में माल (फेविकोल/सिंथेटिक एडहेसिव) की बिक्री पर 52.95 लाख रुपये के कर की छूट वर्ष 1996–1997, 1998–1999 तथा 1999–2000 की अवधि में घोषणा प्रपत्र IX क्रेता व्यवसायी से प्राप्त कर पुनर्बिक्री हेतु प्रदान की गयी। क्रेता व्यवसायी के निबंधन प्रमाण पत्र से तिर्यक जाँच में यह पाया गया कि व्यवसायी उन मालों के क्रय हेतु प्राधिकृत नहीं था। घोषणा प्रपत्र IX के उपयोग की शुद्धता की जाँच में विभाग विफल रहा फलस्वरूप 5.21 लाख रुपये के कर की गलत छूट की अनुमति प्रदान की गयी।

बिहार वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 3 मई 1989 के प्रभाव से संशोधित बि. वि. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई व्यवसायी यह दावा करता है कि उसके द्वारा या उसके माल को दूसरे व्यवसायी को राज्य के अन्दर उसकी शाखाओं में हस्तांतरण पर बिक्री कर भुगतेय नहीं है ; दावे को सिद्ध करना उसका दायित्त्व होगा इसके लिए उसे प्रपत्र में घोषणा जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित है, करना होगा। इस अभियोजन हेतु विभाग ने फरवरी 2000 में एक घोषणा प्रपत्र IX 'डी' निर्दिष्ट किया।

2.2.19 एक व्यवसायी के मामले में पाया गया कि 19 फरवरी 2000 से 31 मार्च 2000 के मध्य राज्य के अन्दर 64.35 लाख रुपये राशि के भंडार हस्तांतरण पर बिना प्रपत्र IX 'डी' प्रस्तुतीकरण के रुपये 7.14 लाख के कर की अनियमित छूट प्रदान की गई।

करारोपण में छूट प्राप्त करने हेतु घोषणा प्रपत्र (असंवैधानिक)/प्रमाण पत्रों का गलत प्रयोग

सितम्बर 1987 में एक अधिसूचना जारी करते हुए बिहार सरकार ने भारत सरकार या बिहार सरकार के अधीन उद्योग विभाग से निबंधित नये उद्यमियों को घोषणा प्रपत्र 'सी' (राज्य)[10] या च[11] संबंधित अंचल के प्रभारी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित, प्रस्तुत करने पर कच्चे माल के क्रय/विक्रय पर, क्रय/विक्रय कर की छूट प्राप्त कर सकता है।

2.2.20 आठ अंचल कार्यालयों[12] में उद्घटित हुआ कि 12 व्यवसायियों को 3.40 करोड़ रुपये के माल की बिक्री पर वर्ष 1995–1996 से 2000–2001 की अवधि में त्रुटिपूर्ण प्रपत्र 'सी' (राज्य) तथा 'च' जिसका या न तो बही संख्या तथा न ही क्रमांक छपा था अथवा व्यवसायी द्वारा उसका द्वितीयक/अधकट्टी के प्रस्तुतीकरण पर बिक्री कर में छूट की अनुमति प्रदान की गयी। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र अवैध थे। फलस्वरूप 33.63 लाख रुपये के कर की गलत छूट दी गयी।

---

10 *निःशुल्क खरीद/बिक्री कर पर कच्चे मालों की खरीद के लिए उद्यमियों द्वारा दिया गया घोषणा प्रपत्र।*

11 *नवनिर्मित औद्योगिक इकाई द्वारा माल की बिक्री पर करारोपण में छूट हेतु उपयुक्त।*

12 *मोतिहारी, पूर्णियाँ, दरभंगा, कटिहार, पटना सिटी पश्चिमी, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी तथा बेगूसराय*

लापता व्यवसायी

बि. वि. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि कर का भुगतान करने वाला व्यवसायी अगर निबंधन के लिए जानबूझ कर आवेदन नहीं करता वैसे व्यवसायी के कर का निर्धारण समुचित सुनवाई का अवसर देने के बाद उचित फैसले पर करना है।

2.2.21 मुजफ्फरपुर अंचल में उद्घटित हुआ कि चार व्यवसायियों ने राज्य के बाहर से 56.24 लाख रुपये के माल (हल्दी/आतिशबाजी) का क्रय वर्ष 1996–1997 तथा 1999–2000 में उसी अंचल के दूसरे व्यवसायी के घोषणा प्रपत्र तथा बीजक के आधार पर किया। क्रेता व्यवसायियों ने न तो विवरणी दाखिल किया न उनकी निशानदेही ही थी। वैसे व्यापारियों पर कर एवं अर्थदंड की वसूलनीय राशि 8.22 लाख रुपये थी।

आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण

2.2.22 बि. वि. अधिनियम, के. बि. क. अधिनियम 1956 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार निबंधित व्यापारी को घोषणाओं की प्राप्ति तथा निर्गम की लेखा जमा करनी होती है। हालांकि, अधिनियम/नियमों में प्रावधान नहीं है कि व्यापारियों को विवरणी (मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक) के साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है, यह दिखलाने के लिए कि उनके द्वारा उपयुक्त एवं निर्गत घोषणा उन्हीं उद्देश्यों के लिए है जिसके लिए वे निबंधन प्रमाणक के अनुरूप अधिकृत हैं।

ऐसे व्यापारिक लेन देन की तिर्यक जाँच को सुगम बनाने हेतु घोषणापत्र की एक प्रति व्यवसायी के अभिलेख में रखना है जिसकी प्रतिलिपि दूसरे संबंधित अन्य अंचल के व्यवसायी के अभिलेख में रखने हेतु भेजी जानी है। राज्य के अन्दर एक ही स्थान पर या अन्य स्थानों पर स्थित अंचलों या राज्य के बाहर संबंधित कार्यालयों से तिर्यक जाँच का तरीका प्रभावी नहीं था।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विवरणी के साथ घोषणा प्रपत्र व्यवसायियों द्वारा नहीं जमा किया गया। प्रपत्रों की उपयोगिता प्रमाण पत्र भी आवधिक रूप से प्रस्तुत नहीं किये गये। फलस्वरूप निर्धारण के समय व्यवसायियों द्वारा भेजे गये क्रय/विक्रय विवरणी की तिर्यक जाँच नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप क्रय/विक्रय की राशि के छिपाव के कारण राजस्व की हानि हुई।

अनुशंसा

2.2.23 लेखापरीक्षा जाँच से उद्घटित होता है कि संबंधित प्राधिकारी विभिन्न प्रपत्रों पर आधारित छूट की अनुमति प्रदान करने में वैधानिक प्रावधानों को लागू करने में असफल रहे। उचित/तिर्यक जाँच के बगैर अहस्ताक्षरित, बेकार तथा अधूरे प्रपत्रों पर छूट की अनुमति प्रदान की गयी।

सरकार एक स्वस्थ्य तंत्र को विकसित करने पर विचार कर सकती है :

- अवैध घोषणा प्रपत्रों के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु सूचनाओं के त्वरित प्रसार को सुनिश्चित करने हेतु ;

- रियायती दर पर कर अथवा कर में छूट की अनुमति प्रदान करने से पूर्व प्रपत्रों की जाँच एवं तिर्यक जाँच हेतु।

मामले विभाग तथा सरकार को सितम्बर 2003 में प्रतिवेदित किए गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

2.3 निर्यात बिक्री के अधिक प्रकटीकरण के कारण बिक्री राशि का छिपाव

के. बि. क. अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत वैसे माल जिसका क्रय/विक्रय निर्यात बिक्री के रूप में हुआ हो, पर कर भुगतेय नहीं है। यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने बिक्री राशि के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया, छोड़ा या प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसी बिक्री राशि के लिए गलत विवरण दिया है और जिसके कारण उसके द्वारा वास्तविक राशि से कम की विवरणी दाखिल की गयी है, तो उक्त पदाधिकारी को वैसी बिक्री राशि पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निधारण करना है तथा निर्धारित किये गये कर के अतिरिक्त, छिपायी गयी बिक्री राशि पर, दंडस्वरूप कर का अधिकतम तीन गुणा, किन्तु कम से कम कर की समतुल्य राशि भुगतान करने के लिए व्यवसायी को निर्देश देना है।

पाँच वाणिज्यकर अंचलों[13] से निबंधित दवा, कीटनाशक, कॉइर तोशक, साबुन, दंतमंजन तथा ब्रश, मोटर पार्टस, दुग्ध उत्पाद, पेन्ट, कूकर एवं लेखन सामग्री आदि के 47 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों के साथ सीमा शुल्क विभाग में संधारित अभिलेखों की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि सीमा शुल्क विभाग के अभिलेखों में दर्शाये गए 95.38 करोड़ रुपये के माल के वास्तविक निर्यात मूल्य के विरूद्ध करदाताओं ने नेपाल निर्यात किये गये माल के मद में 117.06 करोड़ रुपये की बिक्री राशि, अपने विवरणी में वर्ष 1998–1999 से 2000–2001 की अवधि में दर्ज किया जिसका कर निर्धारण सितम्बर 1999 तथा अप्रील 2003 के मध्य किया गया तथा तदनुसार कर में छूट प्रदान की गयी। कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा सीमा शुल्क विभाग से अभिलेखों की तिर्यक जाँच में विफलता के फलस्वरूप 21.68 करोड़ रुपये के अधिक कर योग्य बिक्री राशि पर अनियमित छूट का उपभोग किया गया एवं तदनुसार अतिरिक्त कर, अधिभार तथा अर्थदंड सहित 6.82 करोड़ रुपये का कम करारोपण हुआ।

इसे बताये जाने पर विभाग ने मई एवं जून 2003 में कहा कि मामलों की समीक्षा की जायगी। तत्पश्चात उत्तर अप्राप्त है (अगस्त 2004)।

मामले सरकार को सितम्बर 2003 में प्रतिवेदित किए गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

2.4 क्रय/विक्रय राशि का छिपाव

के. बि. क. अधिनियम के साथ पठित बि. वि. अधिनियम के अन्तर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने बिक्री राशि के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया, छोड़ा या प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसी बिक्री राशि के लिए गलत विवरण दिया है और जिसके कारण उसके द्वारा वास्तविक राशि से कम की विवरणी दाखिल की गयी है, तो उक्त पदाधिकारी को वैसी बिक्री राशि पर

13 *पटना विशेष, पाटलिपुत्र, पटना दक्षिणी, पटना उत्तरी तथा पटना सिटी पश्चिमी।*

व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करना है तथा निर्धारित किये गये कर के अतिरिक्त छिपायी गयी बिक्री राशि पर दंडस्वरूप कर का अधिकतम तीन गुणा, किन्तु कम से कम कर की समतुल्य राशि भुगतान करने के लिए व्यवसायी को निर्देश देना है।

नौ वाणिज्यकर अंचलों में नवम्बर 2000 तथा नवम्बर 2002 के मध्य कर निर्धारित कर निर्धारण अभिलेखों एवं प्रपत्र IX 'सी' के उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रपत्र 'एफ', रोड परमिट, व्यापार लेखा आदि से यह देखा गया कि 13 व्यवसायियों ने वर्ष 1998–1999 से 2000–2001 के दौरान घोषणा प्रपत्रों पर खरीदे/बेचे गये मालों में से 11.76 करोड़ रुपये की खरीद/बिक्री राशि को छिपाया जो विभाग द्वारा असंसूचित रहा। अतः, खरीद/बिक्री के छिपाव को रोकने में विभाग की विफलता के कारण अतिरिक्त कर, अधिभार एवं आरोप्य अर्थदंड सहित 3.24 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ। जिसका ब्यौरा निम्नवत है :

(लाख रुपये में)

क्रमांक	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	कर निर्धारण अवधि कर निर्धारण का माह/वर्ष	वस्तु	वास्तविक खरीद/बिक्री राशि लेखापित खरीद/बिक्री	छिपाई गई राशि लागू दर प्रतिशत	कर अर्थदंड की राशि	कुल
1.	बेतिया 1	1999–2000 सितम्बर 2000	छोआ	185.25 शून्य	185.25 25+1+अ.	53.49 48.63	102.12
2.	लखीसराय 1	1999–2000 नवम्बर 2002	पैकिंग पदार्थ	13.42 3.27	10.15 8+1+अ.	1.01 0.92	1.93
3.	मुजफ्फरपुर 1	1998–1999 सितम्बर 2000	सीमेन्ट	730.00 700.03	29.97 11+1+अ.	3.99 3.63	7.62
4.	पाटलिपुत्र 1	1999–2000 अगस्त 2001	छोवा	808.82 699.43	109.39 7+अ.	8.42 7.66	16.08
5.	पटना सिटी पश्चिमी 2	1998–1999 एवं 2000–2001 नवम्बर 2000 तथा दिसम्बर 2001	टॉयलेट साबुन तथा डिटरजेन्ट	4,759.45 4,455.77	303.68 10, 12 + 1 + अ.	43.44 39.49	82.93
6.	पटना उत्तरी 2	1999–2000 एवं 2000–2001 नवम्बर 2001 तथा फरवरी 2002	टायर, सीमेन्ट	3,377.97 3,234.83	143.14 9, 11 + 1 + अ.	16.79 15.26	32.05
7.	पटना दक्षिणी 3	1998–1999 एवं 1999–2000 जनवरी 2001 तथा मार्च 2002	छोवा, हार्लिक्स	10,731.40 10,411.70	319.70 7, 10 + 1 + अ.	35.66 32.41	68.07
8.	पटना पश्चिमी 1	1998–1999 दिसम्बर 2001	कीटनाशक	283.71 241.13	42.58 4 + 1 + अ.	2.36 2.15	4.51

क्रमांक	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	कर निर्धारण अवधि कर निर्धारण का माह / वर्ष	वस्तु	वास्तविक खरीद / बिक्री राशि लेखापित खरीद / बिक्री	छिपाई गई राशि लागू दर प्रतिशत	कर अर्थदंड की राशि	कुल
9.	सिवान 1	1999–2000 नवम्बर 2000	सबुन तथा डिटरजेन्ट	326.26 293.67	32.59 12 + 1 + अ.	4.70 4.28	8.98
	13			21,216.28 20,039.83	1,176.45	169.86 154.43	324. 29

इन्हें बताये जाने पर नवम्बर 2001 एवं जनवरी 2003 के मध्य विभाग ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जायगी। तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामले सरकार को सितम्बर 2003 में प्रतिवेदित किए गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

2.5 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण

2.5.1 के. बि. क. अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार सरकार ने मई 1996 में एक अधिसूचना जारी कर औद्योगिक इकाइयों को निर्मित मालों के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 'सी' प्रपत्र के माध्यम से बिक्री कर में छूट प्रदान किया। वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर जो विहित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं है, दस प्रतिशत या राज्य में लागू दर, जो अधिक हो, पर कर आरोप्य है। घोषित वस्तुओं की बिक्री के मामले में जो विहित प्रपत्र में घोषणाओं से समर्थित नहीं है, उस वस्तु पर संबंधित राज्य में क्रय या विक्रय पर लागू दर का दुगुना कर आरोप्य है।

पटना दक्षिणी अंचल के एक निर्माता व्यवसायी के मामले में जिसे निर्मित मालों के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर में छूट का उपभोग करने हेतु प्रमाण पत्र निर्गत था, वर्ष 1996–1997 से 1998–1999 की अवधि के दौरान, 19.20 करोड़ रुपये के इन्गोट, रनर आदि के अन्तर्राज्यीय बिक्री जिसका कर निर्धारण सितम्बर 1999 तथा दिसम्बर 2000 के मध्य किया गया था, पर कर का आरोपण में गलत छूट की अनुमति दी गयी हालांकि बिक्री घोषणा प्रपत्र 'सी' से समर्थित नहीं था। इस गलत छूट के कारण 1.54 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण किया गया।

इसे बताये जाने पर विभाग ने जून 2001 में कहा कि मामले की समीक्षा की जायगी। तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामले सरकार को सितम्बर 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

2.5.2 के. बि. क. अधिनियम 1956, बि. वि. अधिनियम 1981 के अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत माल के क्रय/विक्रय जिसे भारत की सीमा के बाहर निर्यात किया गया हो तथा जिसके विरूद्ध कागजी सबूत हो ; उनके क्रय/विक्रय पर कर आरोप्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा मार्च 1986 तथा अगस्त 1991 में निर्गत आदेशों के अनुसार नेपाल में माल के निर्यात पर बिक्री कर में छूट प्राप्त करने हेतु अन्य प्रमाणों के अलावा व्यापार के समर्थन में भारत के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वीकृत बिल ऑफ एक्सपोर्ट आवश्यक है।

चार वाणिज्य कर अंचलों[14] में पाया गया कि 2.27 करोड़ रुपये का कॉयर तोशक, कीटनाशक, स्पिरिट, भा.नि.वि.श. तथा गाड़ी का डब्बा का निर्यात वर्ष 1994–1995 से 1998–1999 के दौरान किया गया जिसका कर निर्धारण सितम्बर 2000 तथा नवम्बर 2002 में किया गया ; भारत के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वीकृत बिल ऑफ एक्सपोर्ट जैसे विहित कागजी सबूत से समर्थित नहीं था फिर भी कर में छूट प्रदान किया गया। जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर तथा अधिभार सहित 29.20 लाख रुपये के कर का अवनिर्धारण किया गया।

इन्हें बताये जाने पर विभाग ने नवम्बर 2002 में मुजफ्फरपुर के एक व्यवसायी के मामले में कहा कि बिल ऑफ एक्सपोर्ट का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य नहीं था। सरकार के उपर्युक्त आदेशों के आलोक में विभाग का उत्तर संतोषप्रद नहीं है। अन्य मामलों के संदर्भ में सितम्बर 2000 तथा अप्रील 2002 में विभाग ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जायगी। तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को सितम्बर 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

2.6 वस्तुओं का गलत वर्गीकरण

बि. वि. अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत *जर्दा* को करारोपण से छूट प्राप्त है लेकिन *किवाम, जर्दा* से संबंधित नहीं है। दोनों व्यावसायिक तौर पर भिन्न व्यापारिक वस्तु हैं तथा इस प्रकार *किवाम* अविशिष्ट वस्तु होने के कारण आठ प्रतिशत की दर पर कर योग्य है।

मुजफ्फरपुर वाणिज्यकर अंचल के एक व्यवसायी के मामले में पाया गया कि वर्ष 1996–1997 तथा 1998–1999 में 4.89 करोड़ रुपये के *किवाम* की बिक्री पर इसे *जर्दा* समझकर जो करमुक्त वस्तु है अगस्त 2000 तथा जनवरी 2001 के मध्य कर नहीं लगाया गया। *किवाम, जर्दा* से अलग होने के कारण सामान्य दर पर कर योग्य था। वस्तु के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 48.89 लाख रुपये का कर कम लगाया गया।

इसे बताये जाने पर विभाग ने मार्च 2002 में कहा कि मामले की समीक्षा की जायगी। तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को सितम्बर 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

2.7 छूट की गलत स्वीकृति

बि. वि. अधिनियम, 1981 के अधीन एक अधिसूचना के अन्तर्गत राज्य सरकार प्रत्येक माल के सम्बन्ध में विशिष्टता प्रदान करती है कि राज्य में प्रथम बिन्दु पर यदि करारोपित किया जा चुका हो तो उक्त माल की पुनर्बिक्री पर ; यदि पुनर्बिक्री विहित घोषण प्रपत्र IX 'सी' से समर्थित हो तो कर पुनः आरोपित नहीं किया जायेगा।

पाटलिपुत्र अंचल, पटना में उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने वर्ष 1994–1995 में 46.62 लाख रुपये का कर योग्य इलेक्ट्रानिक माल बेचा जिसे दिसम्बर 1998 में कर निर्धारित

---

14 *बगहा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर तथा पटना पश्चिमी*

किया गया, किन्तु उसने इसे व्यापार लेखा में कर में छूट प्राप्त करने हेतु विहित घोषणा प्रपत्रों के बगैर उसे कर प्रदत्त मालों के रूप में लेखापित किया। इस प्रकार गलत छूट की स्वीकृति के फलस्वरूप 5.18 लाख रुपये का कर कम आरोपित किया गया।

इसे बताये जाने पर, विभाग ने जनवरी 2000 में कहा कि मामले की समीक्षा की जायगी। तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2003) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

2.8 गलत दरों से कर का लगाया जाना

बि. वि. अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत राज्य सरकार समय–समय पर किसी भी वर्ग या माल के किस्म पर कर की दर अधिसूचित कर सकती है।

तीन वाणिज्यकर अंचलों के चार व्यवसायियों के मामलों में उद्घटित हुआ कि वर्ष 1995–1996 से 1999–2000 के दौरान 3.47 करोड़ रुपये के माल की बिक्री हुई जिसका कर निर्धारण दिसम्बर 1998 तथा अक्टूबर 2001 में किया गया ; उन पर गलत दर से कर आरोपित किया गया। फलस्वरूप, अतिरिक्त कर तथा अधिभार सहित 21.49 लाख रुपये का कर कम लगाया गया जो निम्नवत है :

(लाख रुपये में)

क्रमांक	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	वस्तु का नाम	निर्धारण वर्ष निर्धारण तिथि	बिक्री राशि	कर की दर (प्रतिशत)		कर का कम आरोपण
					आरोप्य	आरोपित	
1.	पटना दक्षिणी 1	हेयर ड्रायर	1998–1999 अक्टूबर 2001	107.20	12+1+अ.	8	4.76
2.	पटना उत्तरी 1	पालियूरेथेन	1995–1996 से 1998–1999 दिसम्बर 1998 तथा अक्टूबर 2000 के मध्य	22.02	7+1+अ.	4	1.07
3.	केन्द्रीय अंचल कोलकाता 1	बोआयलर	1997–1998 से 1999–2000 अप्रील 2000 तथा नवम्बर 2000 के मध्य	69.00	8+1+अ.	4	4.13
4.	पटना दक्षिणी 1	प्यूरिटी बार्ली	1995–1996 जनवरी 1999	148.49	10+1+अ.	4	11.53
	4	**कुल**		**346.71**			**21.49**

इन मामलों को बताये जाने पर विभाग ने अप्रील 2000 एवं अक्टूबर 2001 में कहा कि मामलों की छानबीन की जायगी। तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गए (सितम्बर 2003) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

2.9 अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाना

बि. वि. अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी को सकल विक्रय राशि पर एक प्रतिशत की दर से (शराब को छोड़कर) अतिरिक्त कर देना है।

केन्द्रीय अंचल, कोलकाता के एक पेट्रोलियम उत्पादों के व्यवसायी के मामले में वर्ष 1997–1998 में 15.35 लाख रुपये के एविएशन टरवाइन ईंधन (ए. टी. एफ.) की बिक्री पर जिसका कर निर्धारण जनवरी 2001 में हुआ ; माल को अतिरिक्त कर से मुक्त समझते हुए अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान इसे बताये जाने पर विभाग ने अप्रील 2002 में कहा कि एविएशन स्पिरिट सहित ए.टी.एफ. अतिरिक्त कर से मुक्त है। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि सिर्फ एविएशन स्पिरिट ही अतिरिक्त कर से मुक्त था। तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को सितम्बर 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

2.10 संगणना में भूल के कारणवश कर का अवनिर्धारण

बि. वि. अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी जिसका सकल क्रय/विक्रय राशि एक वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक हो ; अधिनियम के अनुसार भुगतान योग्य कर के अलावे कर का दस प्रतिशत की दर से अधिभार (अतिरिक्त कर सहित) देना है।

दो वाणिज्यकर अंचलों (केन्द्रीय अंचल कोलकाता तथा पाटलिपुत्र) के दो व्यवसायियों के मामलों में पाया गया कि 3.03 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि के बदले 2.98 करोड़ रुपये का कर जिसका निर्धारण दिसम्बर 1999 तथा जनवरी 2001 में किया गया ; वर्ष 1997–1998 तथा 1999–2000 के लिए आरोपित किया गया। कर के संगणना में भूल के फलस्वरूप 5.91 लाख रुपये का कर कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान इसे बताये जाने पर पाटलिपुत्र अंचल के सम्बन्ध में विभाग ने दिसम्बर 2001 में कहा कि प्रवेश शुल्क के सामंजन के बाद माँग पत्र प्रेषित किया गया है। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि संगणना में अशुद्धि है। दूसरे मामले में विभाग ने जनवरी 2001 में कहा कि मामले की जाँच की जायगी। तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2003) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

अध्याय – III : राज्य उत्पाद

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–2003 के दौरान उत्पाद कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 1,043 मामलों में 89.05 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व अवनिर्धारण एवं हानि का पता चला, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होना/बिलंब से होना	177	6.91
2.	अनुज्ञा शुल्क का उद्ग्रहण नहीं होना	97	0.37
3.	विदेशी शराब/अप्राकृतिक स्पिरिट सहित स्पिरिट की बर्बादी के कारण राजस्व की हानि	02	0.01
4.	**समीक्षा** : राज्य उत्पाद विभाग का कार्यकलाप	01	78.95
5.	अन्य मामले	766	2.81
	कुल	**1,043**	**89.05**

वर्ष 2002–2003 के दौरान सम्बद्ध विभाग द्वारा उक्त वर्ष के पूर्व लेखा परीक्षा में उठाये गये 11 मामलों के संदर्भ में 0.11 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण को स्वीकार किया गया।

एक समीक्षा, ''राज्य उत्पाद विभाग का कार्यकलाप'', जिसपर 78.95 करोड़ रुपये के कर का प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है, अनुवर्त्ती कंडिकाओं में दिये गये है :

3.2 समीक्षा : राज्य उत्पाद विभाग का कार्यकलाप

मुख्याकर्षण

छोआ से अल्कोहल के कम निकाले जाने के कारण 4.13 करोड़ रुपये की हानि।

(कंडिका 3.2.5)

उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं करने के कारण 10.22 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि।

(कंडिका 3.2.7)

नीलामवाद मामले नहीं दर्ज करने के कारण 32.91 करोड़ रुपये के ब्याज का अपवंचन।

(कंडिका 3.2.18)

प्रस्तावना

3.2.1 सांवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत राज्य सूची, राज्य सरकार को मनुष्य के उपभोग हेतु शराब, अफीम, भारतीय गाँजा तथा अन्य नशीली दवाओं के राज्य में निर्माण या उपज पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार प्रदान करती है। उत्पाद शुल्क के लगाने का कार्य बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बि. उ. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जाता है।

राज्य में राज्य उत्पाद राजस्व, कर राजस्व के मुख्य स्त्रोतों में से एक है। देशी शराब तथा भारत निर्मित विदेशी शराब (भा. नि. वि. श.) के विभिन्न बिक्रेताओं से यह निलामी फीस के रूप में एवं आसवन गृहों से निकले देशी शराब, मसालेदार शराब, भा. नि. वि. श., बीयर पर तथा इसके आयात/निर्यात पर उत्पाद शुल्क लगाने से प्राप्त होता है।

संगठनात्मक ढाँचा

3.2.2 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के माध्यम से राज्य सरकार उत्पाद नियमों का अनुपालन करती है। उत्पाद आयुक्त (उ. आ.) विभाग का प्रधान होता है। वह राज्य सरकार के उत्पाद नियमों एवं कार्यक्रमों को लागू करने तथा प्रशासन के प्रति मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। उन्हें मुख्यालय में उत्पाद संयुक्त आयुक्त (उ. सं. आ.), उत्पाद उपायुक्त (उ. उ.) तथा उत्पाद सहायक आयुक्त (उ. स. आ.) एवं प्रमंडलों में उत्पाद उपायुक्त (उ. उ.) की सहायता प्राप्त होता है।

जिला स्तर पर, उत्पाद प्रशासन के प्रभार में समाहर्त्ता होता है जिसे एक करोड़ रुपये से अधिक उत्पाद राजस्व वाले जिलों में उत्पाद सहायक आयुक्त तथा उससे कम राजस्व वाले स्थानों पर उत्पाद अधीक्षक तथा उत्पाद निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं

सिपाहियों की सहायता प्राप्त है। प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलों को अंचलों एवं प्रखंडों में बाँटा गया है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.2.3 उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना, 37 जिला उत्पाद कार्यालयों में से 15[1] तथा दो आसवन गृहों के वर्ष 1997–1998 से 2001–2002 की अवधि के अभिलेखों की जनवरी तथा मई 2003 के दौरान गहन जाँच की गई, ताकि पता चले कि ;

- राजस्व उगाही में विभाग द्वारा अधिनियम के प्रावधानों, नियमों एवं कार्यपालक अनुदेशों का पालन सुचारू रूप से किया गया या नहीं ;
- बकाये की वसूली हेतु सरकार ने उचित कदम उठाया अथवा नहीं।

3.2.4 बजट अनुमान तथा वास्तविक

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वस्तविक	अधिक (+) कम (–)	प्रतिशत विचलन
1997–1998	264.50	226.36	(–) 38.14	(–) 14.42
1998–1999	361.00	239.51	(–) 121.49	(–) 33.65
1999–2000	450.00	277.80	(–) 172.20	(–) 38.26
2000–2001*	275.90	242.58	(–) 33.32	(–) 12.12
2001–2002	275.00	238.90	(–) 36.10	(–) 13.13

* (बजट अनुमान में कमी बिहार राज्य के पुनर्गठन के कारण हुई)

यह पाया गया कि वर्ष 1997–1998 से 2001–2002 की अवधि में बजट अनुमान कभी प्राप्त नहीं हुआ। इस अवधि में 12 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक की कमी रही। यह स्पष्ट है कि बजट अनुमान वास्तविक आधार पर नहीं तैयार किये गये।

छोआ से अल्कोहल कम निकाले जाने के कारण राजस्व की हानि

3.2.5 बि. उ. अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के साथ पठित 11 जनवरी 2000 को निर्गत अधिसूचना के अन्तर्गत आसवन गृह संचालक छोआ में उपस्थित शर्करा अपचायक से कम से कम 92 लन्दन प्रुफ लीटर (एल. पी. एल.) (52.5 अल्कोहलिक लीटर) प्रति क्विन्टल की दर से अल्कोहल निकालने के लिए उत्तरदायी है।

स्पिरिट उत्पादन पंजी, छोआ उपभोग पंजी तथा शर्करा अपचायक तत्त्व संबंधी रसायनशास्त्री के प्रतिवेदन की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि तीन आसवन गृह संचालक, वर्ष 2001–2002 में उपयुक्त छोआ से अल्कोहल की निम्नतम प्राप्ति में विफल रहे फलस्वरूप 4.13 करोड़ रुपये राजस्व की हानि उत्पाद शुल्क के रूप में हुई जिसका विवरण निम्नवत है :

---

1 *आरा (भोजपुर), बेगूसराय, दरभंगा, गोपालगंज, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णियाँ, पटना, रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा) तथा सीवान।*

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आसवन गृह का नाम	छोआ की मात्रा (क्विंटल में)	रसायनशास्त्री के प्रतिवेदन के अनुसार अल्कोहल की निम्नतम प्राप्ति (एल. पी. एल. में)	अल्कोहल की वास्तविक प्राप्ति (एल. पी. एल. में)	कमी (एल. पी. एल. में)	उत्पाद शुल्क की हानि
2001–2002	यू. बी. डिस्टीलरी, मीरगंज, गोपालगंज	2,45,350.00	59,33,665.50	58,48,458.90	85,206.60	0.85
2001–2002	मैकडावेल डिस्टीलरी, हाथीदह, पटना	1,56,502.08	49,46,937.88	46,34,074.18	3,12,863.70	3.13
2001–2002	एस. सी. आई डिस्टीलरी, रजौन, बाँका	65,880.00	20,25,466.69	19,81,503.29	43,963.40	0.15
	कुल	**4,67,732.08**	**1,29,06,070.07**	**1,24,64,036.37**	**4,42,033.70**	**4.13**

अनुज्ञप्तिधारियों से स्थापना लागत की वसूली नहीं होना

3.2.6 बि. उ. अधिनियम के धारा 90 के अन्तर्गत नियम 36 'ए' के प्रावधान के अनुसार उ. आ. को यह निर्णय लेना है कि विदेशी शराब की बिक्री हेतु उसे मिलाने, घेरने तथा बोतल बंद करने में परिवीक्षण हेतु पूर्णकालिक या अल्पकालिक उत्पाद कर्मचारी की आवश्यकता होगी। अनुज्ञप्तिधारी, सरकार को आसवन गृह में तैनात उत्पाद कर्मचारी पर हुए वास्तविक व्यय का भुगतान करेगा।

दो आसवन–गृहों, मैकडॉवेल, हाथीदह तथा यू. बी. डिस्टीलरी लि. मीरगंज, गोपालगंज में पाया गया कि वर्ष 1996–1997 से 2001–2002 तक के वर्षों में आसवन गृहों में तैनात उत्पाद कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर हुए खर्च 48.59 लाख रुपये की वसूली विभाग द्वारा नहीं की गई।

इसे बताये जाने पर उत्पाद अधीक्षक, मैकडॉवेल डिस्टीलरी, हाथीदह, पटना ने दिसम्बर 2002 में उत्तर दिया कि स्थापना लागत के भुगतान हेतु सूचनाएँ निर्गत की जा चुकी हैं। फरवरी 2003 में यू. बी. डिस्टीलरी, मीरगंज, गोपालगंज के उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि अभिलेखों की जाँच के बाद कार्रवाई की जायगी।

उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

3.2.7 बि. उ. अधिनियम, 1915 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन देशी शराब, मसालेदार देशी शराब तथा भा. नि. वि. श. के खुदरा बिक्री हेतु उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नीलामी के माध्यम से की जाती है। रक्षित/अपसेट फीस की शर्त पर उत्पाद दुकानों की नीलामी की जाती है। जब किसी मामले में अपसेट फीस प्राप्त न हो तो जिले का समाहर्त्ता स्वविवेक से कम शुल्क स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते उत्पाद आयुक्त द्वारा इसकी अनुमति दे दी जाय। यदि दुकान अबंदोबस्त रह गया हो तब विभागीय स्तर पर अबंदोबस्त उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए उत्पाद आयुक्त ने जून 1995 में निर्देश भी जारी किया। यदि बाद में दुकानें बंदोबस्त हो जाती हैं तो विभागीय संचालन वापस ले लिया जाएगा।

17 उत्पाद जिलों[2] में पाया गया कि 109 देशी शराब, 88 मसालेदार देशी शराब तथा 32 भा. नि. वि. श. की दुकानें वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान अबंदोबस्त रहीं। फलस्वरूप उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10.22 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई। विभागीय स्तर पर दुकान चलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर 10 उत्पाद अधीक्षकों[3] ने कहा कि दुकानों की बंदोबस्ती हेतु कई बार प्रयास किया गया किन्तु डाककर्त्ताओं के अभाव में दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं हो सकी। स. उ. आ., गया ने अगस्त 2002 में कहा कि यह जिला आतंकवादग्रस्त क्षेत्र है इसलिए दुकानों की बंदोबस्ती नहीं की जा सकी लेकिन बंदोबस्ती के प्रयास किये गये थे। लेकिन सहायक उत्पाद आयुक्त/उत्पाद अधीक्षक में से किसी ने भी यह नहीं कहा कि उत्पाद आयुक्त के अनुदेशों के अनुरूप विभागीय स्तर पर दुकान क्यों नहीं संचालित किया जा सका।

उत्पाद दुकानों की बिलंबित बंदोबस्ती के कारण राजस्व की हानि

3.2.8 वर्ष 2000–2001 के लिए उत्पाद विभाग द्वारा जारी बिक्री अधिसूचना के अनुसार खुदरा दुकानों की नीलामी 14 मार्च 2000 को होनी थी तथा दुकानों की बंदोबस्ती 1 अप्रील 2000 से 31 मार्च 2001 तक के लिए होनी थी। इसी प्रकार, वर्ष 2001–2002 के लिए खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती, 1 जून 2001 से मार्च 2002 की अवधि के लिए बिक्री अधिसूचना मई 2001 में जारी की गई।

आठ उत्पाद जिलों[4] में पाया गया कि यद्यपि विभिन्न खुदरा दुकानों की वर्ष 2000–2001 के लिए नीलामी मार्च 2000 में तथा 2001–2002 के लिए मई 2001 में की गई, वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 में 38 देशी शराब, 15 मसालेदार देशी शराब तथा 25 भा. नि. वि. श. की दुकानों की बंदोबस्ती बिलम्ब से की गई। तीन से ग्यारह महीनों के बिलम्ब के कारण 1.80 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क तथा अनुज्ञा शुल्क की हानि हुई।

इसे बताये जाने पर, उत्पाद अधीक्षक, गोपालगंज ने फरवरी 2003 में कहा कि घटे हुए मासिक अनुज्ञा शुल्क की सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपुष्टि में बिलम्ब के कारण दुकानों की बन्दोबस्ती समय पर नहीं की जा सकी जबकि सात उत्पाद अधीक्षकों ने कहा कि डाककर्त्ताओं की गैर मौजूदगी के कारण दुकानों की बन्दोबस्ती में देरी हुई।

निरस्तीकरण के बाद उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

3.2.9 दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु विभाग द्वारा जारी बिक्री अधिसूचना के शर्त्त संख्या 14 (बी.) के अन्तर्गत प्रत्येक डाककर्त्ताओं को डाक के तुरन्त बाद छः महीनों का अनुज्ञा शुल्क जमा करना होता है। अनुज्ञा शुल्क की शेष राशि जुलाई तथा दिसम्बर के मध्य

---

2 *अररिया, भोजपुर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, गया, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मोतिहारी, मुंगेर, रोहतास सह कैमूर, सारण तथा सीवान।*

3 *भागलपुर, अररिया, कटिहार, मुंगेर, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, सीवान तथा सारण (छपरा)।*

4 *गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना, रोहतास, सीवान तथा सारण (छपरा)*

समान मासिक किस्तों में हर महीने की 10 तारीख तक जमा करना होता है ; इसमें विफल होने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जायगी तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायगी। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को देशी शराब, भा.नि.वि.श. तथा मसालेदार देशी शराब का अनुमत्य न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू. प्र. मा.) का उठाव महीने के अन्तिम दिन तक करना होगा।

आठ उत्पाद जिलों[5] में पाया गया कि खुदरा दुकानदारों द्वारा अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण जून 2001 तथा मार्च 2002 के मध्य 28 देशी शराब, 17 मसालेदार देशी शराब तथा छः भा. नि. वि. श. की दुकानों को निरस्त किया गया। निरस्तीकरण की तिथि से मार्च 2002 तक इन दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं की गई थी। विभाग भी इन दुकानों को विभागीय स्तर पर चलाने में विफल रहा फलस्वरूप उत्पाद शुल्क (न्यू. प्र. मा. पर आधारित) तथा अनुज्ञा शुल्क के रूप में 44.72 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इसे बताने पर छः उत्पाद अधीक्षकों[6] ने कहा कि दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु अनेक बार प्रयास किये गये किन्तु डाककर्त्ताओं के अभाव के कारण दुकानों की पुनः बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी। परन्तु सहायक उत्पाद आयुक्त/उत्पाद अधीक्षक में से किसी ने भी यह नहीं कहा कि उत्पाद आयुक्त के अनुदेशों के अनुरूप अबंदोबस्त दुकानो को विभागीय स्तर पर क्यों नहीं संचालित किया जा सका। अन्य मामलों में कोई जवाब नहीं दिया गया (अगस्त 2004)।

बकाये अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं होना

3.2.10 वर्ष 2001–2002 के लिए बिक्री अधिसूचना के अनुसार, खुदरा उत्पाद दुकानदारों को छः महीनों का अनुज्ञा शुल्क जमा करना था तथा शेष राशि जुलाई एवं दिसम्बर के मध्य समान मासिक किस्तों में हर महीने की 10 तारीख तक जमा करना था।

नौ उत्पाद जिलों[7] में पाया गया कि वर्ष 2001–2002 में 36 देशी शराब, 20 मसालेदार देशी शराब तथा 32 भा.नि.वि.श. की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों ने अनुज्ञा शुल्क पूर्णरूपेण नहीं जमा किया, 14.20 लाख रुपये की शेष राशि छोड़ दी। फलस्वरूप 14.20 लाख रुपये के अनुज्ञा शुल्क की हानि हुई।

इसे बताने पर उत्पाद अधीक्षक, छपरा ने फरवरी 2003 में कहा कि बकाये की वसूली हेतु कुर्की वारंट जारी किये गये थे। अन्य मामलों के उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2004)।

अनुमति सीमा के बाहर देशी शराब के अधिक उठाव पर अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क की वसूली का नहीं होना

3.2.11 वर्ष 2001–2002 के लिए बिक्री अधिसूचना के अनुसार, देशी शराब का अनुज्ञप्तिधारी दुकानदार को किसी खास माह में तय कोटा से 30 प्रतिशत अधिक देशी

---

5 *गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना, रोहतास, सीवान तथा सारण*

6 *मुंगेर (2000–2001), मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, सीवान तथा सारण (छपरा)*

7 *अररिया, भागलपुर, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना, सीवान तथा सारण*

शराब के उठाव के समय 15 रुपये प्रति एल. पी. एल. की दर से अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करना था।

12 उत्पाद जिलों[8] में पाया गया कि वर्ष 2001–2002 के दौरान दुकानदारों द्वारा 28,262.48 एल. पी. एल. देशी शराब तय सीमा से अधिक उठाया गया जिसपर अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। फलस्वरूप 4.24 लाख रुपये के अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं की गई।

अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं होना

3.2.12 देशी शराब के थोक आपूर्त्ति के लिए सैचेटिंग/बोटलिंग पर विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञप्ति करारनामा (प्रपत्र 27) की शर्त्त के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को वार्षिक न्यू. प्र. मा. के आधार पर संगणित एक मुश्त अग्रिम अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करना था। फिर भी, यदि देशी शराब का कुल थोक उठाव वार्षिक न्यू. प्र. मा. से अधिक हो तो अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क एक रूपया प्रति एल. पी. एल. की दर से लगेगा।

चार उत्पाद जिलों (भोजपुर, गोपालगंज, सहरसा तथा वैशाली) में यह पाया गया कि वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान थोक आपूर्त्ति हेतु बोटलिंग/सैचेटिंग के लिए विशेषाधिकार प्राप्त 12 अनुज्ञप्तिधारियों से देशी शराब के अधिक उठाव पर 18.45 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क की वसूली करने में विभाग विफल रहा।

बकाया राजस्व

3.2.13 वर्ष 1997–1998 से 2001–2002 के दौरान राज्य उत्पाद के राजस्व के बकाया की स्थिति निम्नवत है :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	कुल बकाया	पाँच वर्षों से अधिक का बकाया	प्रतिशतता (स्तंभ 3 से 2)
1	2	3	4
1997–1998	21.04	10.91	51.85
1998–1999	47.27	36.01	76.17
1999–2000	52.77	45.21	85.67
2000–2001	45.44	40.72	89.61
2001–2002	44.74	37.96	84.84

कुल बकाया वर्ष 1997–1998 में 21.04 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1999–2000 में 52.77 करोड़ रुपये हो गया। उसके बाद बिहार राज्य के पुर्नगठन के कारण वर्ष 2000–2001 में आंशिक रूप से घटकर कुल बकाया 45.44 करोड़ हो गया। पाँच वर्षों से अधिक के बकाये की प्रतिशतता वर्ष 1997–1998 में 51.85 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000–2001 में 89.61 प्रतिशत हो गया जो वर्ष 2001–2002 में आंशिक रूप से घटकर 84.84 प्रतिशत रहा।

---

[8] *अररिया, भोजपुर, गया, गोपालगंज, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, मोतिहारी, पटना, रोहतास एवं वैशाली*

3.2.14 31 मार्च 2002 को कुल उत्पाद बकाया से प्रमाणित बकाया की स्थिति निम्नवत है :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	कुल बकाया	प्रमाणित	प्रतिशतता
1997–1998	21.04	5.78	27.47
1998–1999	47.27	5.76	12.18
1999–2000	52.77	7.34	13.90
2000–2001	45.44	2.84	6.25
2001–2002	44.74	3.36	7.51

कुल बकाया से प्रमाणित बकाया की प्रतिशतता में वर्ष 1997–1998 से 2000–2001 के दौरान कमी हुई जबकि 2001–2002 में आंशिक वृद्धि हुई। इससे प्रतीत होता है कि विभाग बिहार तथा उड़ीसा लोक माँग एवं वसूली अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत उत्पाद बकाया की वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा।

3.2.15 31 मार्च 2002 को बकाया की सावधिक स्थिति निम्नवत थी :

(रुपये करोड़ में)

10 वर्षों से अधिक	20.88
पाँच वर्षों से अधिक किन्तु 10 वर्षों से कम	17.08
तीन वर्षों से अधिक	4.10
एक वर्ष से अधिक	2.68
कुल	**44.74**

44.74 करोड़ रुपये के कुल बकाया में से वसूली हेतु प्रमाणित माँग 3.36 करोड़ रुपये, न्यायालय/सरकार द्वारा लगाये गये रोक 2.68 करोड़ रुपये, बट्टा खाता में डालने लायक राशि 0.12 करोड़ रुपये तथा अन्य कारणों से स्थगित वसूली 38.58 करोड़ रुपये थी।

15 उत्पाद जिलों तथा दो आसवन गृहों (नरकटियागंज तथा मीरगंज) के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि वर्ष 1981–1982 से 2001–2002 तक की अवधि से संबंधित बकाया राशि 39.64 करोड़ रुपये थी जो राज्य के कुल राज्य उत्पाद बकाया का 88.64 प्रतिशत था। इसमें से, नौ जिलों में मात्र 1.17 करोड़ रुपये के लिए नीलामवाद मामला दर्ज किया गया, न्यायालय तथा सरकार द्वारा 2.47 करोड़ रुपये की वसूली पर रोक लगा दी गयी तथा शेष 36 करोड़ रुपये अन्य कारणों से लम्बित रहे। विभाग 10.32 करोड़ रुपये का विवरण दे सका तथा शेष राशि 25.68 करोड़ रुपये का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं था।

बकाया का कम प्रकटीकरण

3.2.16 15 उत्पाद जिलों[9] में पाया गया कि 31 मार्च 2002 को 11.42 करोड़ रुपये का बकाया लम्बित था, जबकि उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा संधारित अभिलेखों के अनुसार 10.28 करोड़ रुपये इन कार्यालयों से संबंधित बकाया के रूप में दर्शाया गया। इस प्रकार, 1.14 करोड़ रुपये का बकाया कम प्रकट किया गया।

---

9 *आरा (भोजपुर) बेगूसराय, दरभंगा, गोपालगंज, गयाँ, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णियाँ, पटना, रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा) तथा सीवान।*

आसवन गृह मालिकों (डिस्टिलरों) को अनुचित आर्थिक लाभ

3.2.17 बि. उ. अधिनियम, 1915 तथा बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग तथा वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधान के अन्तर्गत उत्पाद राजस्व के बकाये की वसूली ; मुख्यतः देनदार व्यक्ति या उसकी जमानत, यदि कोई हो, से, उसकी चल संपत्ति के कुर्की बिक्री या बकाये राजस्व की वसूली हेतु विहित प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती है।

दो आसवन गृहों (न्यू स्वदेशी डिस्टीलरी, नरकटियागंज तथा यू. बी. डिस्टीलरी, मीरगंज, गोपालगंज) के उत्पाद अधीक्षकों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि इन आसवन गृहों के विरूद्ध वर्ष 1981–1982 से 2001–2002 तक की 21 वर्षों की अवधि का 26.49 करोड़ रुपये बकाया था, जिसमें से विभाग के पास 10.32 करोड़ रुपये का विवरण था जबकि 16.17 करोड़ रुपये का विवरण मौजूद नहीं पाया गया। विभाग ने लोक माँग तथा वसूली अधिनियम (लो. मा. व. अ.) के अन्तर्गत न्यायालय में नीलामवाद मामला दर्ज कराने हेतु कोई कार्रवाई नहीं किया या इसकी वसूली हेतु किसी अन्य उपाय का सहारा भी नहीं लिया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यू. बी. डिस्टीलरी, मीरगंज, गोपालगंज जिसके पास 2.54 करोड़ रुपये का बकाया था ने फरवरी 2003 में संचालन बन्द कर दिया इसलिए इस आसवन गृह से वसूली सम्भव नहीं हो सकती। इस प्रकार, आसवन गृह को अनुचित आर्थिक लाभ प्रदान किया गया।

उत्पाद बकाया की वसूली हेतु नीलामवाद मामला का दर्ज नहीं कराया जाना या इन आसवन गृहों के विरूद्ध अन्य उपायों का सहारा नहीं लेना विभाग के कर्त्तव्यों की लापरवाही साथ ही साथ बकाया पर खराब अनुश्रवण का द्योतक था।

नीलामवाद मामले दर्ज नहीं कराये जाने के कारण ब्याज की हानि

3.2.18 वि. उ. अधिनियम, 1915 में बकाया के विलम्बित भुगतान पर ब्याज आरोपित करने का प्रावधान नहीं है। पी. डी. आर. अधिनियम के अनुसार लोक माँग जिससे नीलामवाद संबंधित है पर ब्याज 12 प्रतिशत की दर से नीलामवाद हस्ताक्षरण तिथि से वसूली की तिथि तक लगाया जाना है। नीलामवाद मामलों को दर्ज करने में विलम्ब ब्याज के रूप में राजस्व की हानि है।

ग्यारह उत्पाद जिलों[10] तथा दो आसवन गृहों (मीरगंज तथा नरकटियागंज) में पाया गया कि 31 मार्च 2002 को वर्ष 1990–1991 से 2001–2002 की अवधि से संबंधित 33.92 करोड़ रुपये लम्बित थे। परन्तु विभाग ने अब तक किसी पर नीलामवाद मामला दर्ज नहीं कराया। नीलामवाद मामले नहीं दर्ज कराने के कारण सरकार को 32.91 करोड़ रुपये का ब्याज के रूप में राजस्व को छोड़ना पड़ा।

प्रमाणित बकाया

3.2.19 पी. डी. आर. अधिनियम के साथ पठित बि. उ. अधिनियम के अन्तर्गत उत्पाद राजस्व के बकाया की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकती है। राजस्व पर्षद के अनुदेशों के अनुसार, माँग अधिकारी (उत्पाद अधीक्षक) मुख्य रूप से बकायदा नीलामवाद मामला दर्ज कराने तथा नीलामवाद अधिकारी द्वारा उठाये गये आपत्तियों का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी है। माँग अधिकारी (आर. ओ.) तथा

10 *बेगूसराय, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया, मधुबनी, मोतिहारी, मधेपुरा, पटना, पूर्णिया, सासाराम (रोहतास) तथा वैशाली।*

नीलामवाद अधिकारी (सी. ओ.) नीलामवाद मामलों के निष्पादन हेतु संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।

तीन उत्पाद जिलों (औरंगाबाद, गोपालगंज तथा मुजफ्फरपुर) में पाया गया कि वर्ष 1990–1991 से 2001–2002 तक की अवधि में 91.94 लाख रुपये के 106 नीलामवाद मामले दर्ज किये गये जिसके विरूद्ध 1.46 लाख रुपये के 11 मामले निष्पादित कर दिये गये तथा 1.74 लाख रुपये के 11 मामले 31 मार्च 2002 तक समाप्त कर दिये गये क्योंकि दोषियों का पता नहीं था। इस प्रकार, 88.74 लाख रुपये के 84 नीलामवाद मामले 31 मार्च 2002 तक लम्बित थे। यह विदित होता है कि वर्ष 1990–1991 से 2001–2002 तक दर्ज किये गये नीलामवाद मामलों के निष्पादन हेतु आर. ओ. तथा सी. ओ. द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाये गये ; फलस्वरूप 88.74 लाख रुपये की वसूली नहीं की जा सकी।

नीलामवाद मामलों का प्रतिपादन नहीं होने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना

3.2.20 उत्पाद जिला, गोपालगंज में पाया गया कि अगस्त 1999 में 6.74 लाख रुपये के 36 मामलों में व्यपारियों से सम्बन्धित निश्चित सूचनाएँ/विवरण सी. ओ. द्वारा माँगे गये परन्तु आर. ओ. गोपालगंज द्वारा उसे नहीं भेजा गया। इस प्रकार, माँगे गये सूचनाओं को भेजने में आर. ओ. की विफलता के फलस्वरूप 6.74 लाख रुपये की वसूली नहीं हो पायी।

अनुशंसा

3.2.21 छोआ से अल्कोहल की कम मात्रा निकाला जाना, उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं/विलंबित होना, अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं किया जाना तथा बकाया की वसूली हेतु अपर्याप्त कदम उठाया जाना आदि के कारण राजस्व की हानि हुई।

सरकार निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है :

- निर्धारित मापदण्डों के अनुसार छोआ से अल्कोहल की निम्नतम वसूली की आवश्यकता पर बल देना।
- उत्पाद राजस्व की हानि से बचने हेतु उत्पाद दुकानों की समय पर बंदोबस्ती के लिए प्रभावी कदम उठाना।
- पुराना लम्बित बकाया की वसूली हेतु उचित कदम उठाना।

मामले को विभाग को सितम्बर 2003 में तथा सरकार को सितम्बर 2003 में प्रतिवेदित किए गये ; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2004)।

अध्याय – IV : अन्य कर प्राप्तियाँ

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–2003 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से कर का अवनिर्धारण, फीस तथा शुल्क एवं राजस्व की हानि/वसूली नहीं होना आदि उद्घटित हुआ, जो निम्नवत है :

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
वाहनों पर कर			
1.	करों का कम/नहीं लगाया जाना	1,551	8.42
2.	शुल्क तथा अर्थदंड का नहीं लगाया जाना	..	..
3.	अन्य मामले	3,387	13.40
	योग	**4,938**	**21.82**
भू–राजस्व			
1.	सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना	3	0.05
2.	वाणिज्यिक लगान का निर्धारण नहीं होना	35	4.12
3.	शास्ति का कम/नहीं लगाया जाना	6	0.06
4.	सैरातों की वसूली/कार्यान्वयन नहीं होना	24	0.35
5.	अन्य मामले	43	0.31
	योग	**111**	**4.89**
मुद्रांक तथा निबंधन फीस			
1.	निर्देशित मामलों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की वसूली का नहीं होना	308	0.25
2.	निर्देशित मामलों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व बाधित	1,129	0.71
3.	अन्य मामले	5,149	5.13
	योग	**6,586**	**6.09**
	कुल योग	**11,635**	**32.80**

वर्ष 2002–2003 के दौरान सम्बद्ध विभाग द्वारा उक्त वर्ष के पूर्व लेखा परीक्षा में उठाये गए 3 मामलों के संदर्भ में 0.50 लाख रूपये के अवनिर्धारण को स्वीकार किया गया।

दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले, जिनमें 42.84 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त हैं, निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये हैं :

वाहनों पर कर

4.2 कर की वसूली नहीं होना

बिहार मोटर वाहन करारोपण (बि. मो. वा. क.) अधिनियम, 1994 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत वाहन पर कर वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, उस वर्ष या तिमाही के आरम्भ से 15 दिनों के अन्दर भुगतेय है। समय से कर का भुगतान नहीं करने पर विहित दर पर अर्थदंड लगता है।

29 जिला परिवहन कार्यालयों[1] में पाया गया कि 1,448 परिवहन वाहनों के मालिकों ने उन कार्यालयों में जहाँ वे मूल रूप से निबंधित थे; कर का भुगतान बन्द कर दिया तथा उनके भुगतान नहीं करने का कारण भी अभिलेखित नहीं पाया गया। विभाग ने भी इसकी वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया। फलस्वरूप अप्रील 1991 तथा मई 2002 के मध्य 11.80 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं की गयी।

इसे बताये जाने पर, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों (जि. प. प.) ने जनवरी तथा दिसम्बर 2002 के मध्य कहा कि उक्त बकाया की वसूली हेतु माँग पत्र जारी किया जायेगा। तत्पश्चात उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2004)।

मामले सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किये गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

4.3 व्यापार कर तथा बिलंबित भुगतान पर अर्थदंड की वसूली नहीं होना

बि.मो.वा.क. अधिनियम, 1994, के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापार के क्रम में वाहन रखने पर व्यवसायियों द्वारा विहित दर पर व्यापार कर का भुगतान किया जाना है। पुनः, मई 2001 में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार व्यापार कर के बिलंम्बित भुगतान पर अधिनियम में विहित दर पर अर्थदंड लगाया जाना है।

दो जिला परिवहन कार्यालयों (बेगूसराय तथा भोजपुर) के 19 मोटर वाहन व्यवसायियों के मामलों में पाया गया कि वर्ष 1998–1999 से 2001–2002 तक के लिए व्यापार कर की वसूली या तो नहीं की गई या व्यापार कर के विलंबित भुगतान पर अर्थ दंड नहीं लगाया गया। फलस्वरूप, 6.57 लाख रुपये का व्यापार कर तथा अर्थदंड की वसूली नहीं की गयी।

इसे बताये जाने पर, जि. प. प. बेगूसराय ने अगस्त 2002 तथा दिसम्बर 2002 में कहा कि माँग पत्र जारी किया जा चुका हैं तथा नीलामवाद मामला दर्ज किया जायगा। जि. प. प. भोजपुर ने दिसम्बर 2002 में कहा कि मामले की जाँच की जायगी। तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

---

[1] *अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली तथा पश्चिमी चम्पारण*

मामला सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

4.4 अभ्यर्पण के अस्वीकृत/रद्द होने पर कर का उद्ग्रहण नहीं होना

राज्य परिवहन आयुक्त (रा. प. आ.), बिहार के द्वारा 12 जनवरी 1990 को जारी अनुदेशों के अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व तीन महीने से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित किये गये वैसे वाहनों के मालिकों को सूचना की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अभ्यर्पित कागजात वापस लेने सम्बन्धी सूचना भेजनी थी ; अन्यथा अभ्यर्पण स्वतः अस्वीकृत हो जायगा तथा अर्थदंड सहित कर की वसूली उनसे की जायगी।

जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर में पाया गया कि वर्ष 1988–1989 के दौरान कर भुगतान से छूट प्राप्त करने हेतु पाँच मोटर वाहनों के कागजात अभ्यर्पित किये गये। जि. प. प. ने कागजातों की जाँच के बाद जून 1996 में अभ्यर्पण को अस्वीकृत कर दिया परन्तु फरवरी 1990 से कर की वसूली नहीं किया। फलस्वरूप 7.42 लाख रुपये के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इसे बताये जाने पर जि. प. प. ने जुलाई 2002 में कहा कि वसूली हेतु माँग पत्र जारी किया जायगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2004)।

4.5 संग्रहित राजस्व को जमा करने में विलम्ब के कारण हानि

बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधान के अन्तर्गत सभी लेन–देन को अविलम्ब लेखापित करना चाहिए तथा लोक लेखा में जमा करना चाहिए। सरकार द्वारा जून तथा नवम्बर 1978 में जारी अनुदेशों के अनुसार संग्रहणकर्त्ता बैंकों को करारोपण अधिनियम के अन्तर्गत वाहन मालिकों द्वारा जमा कराया गया कर, फीस आदि की राशि का हस्तान्तरण भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.), सचिवालय शाखा, पटना में करना है। 1996 में जारी रा. प. आ. के अनुदेश के अनुसार वाहन मालिकों द्वारा अप्रील से फरवरी तक बैंक में जमा कराये गये राशि का हस्तांतरण एस. बी. आई., सचिवालय शाखा, पटना में इस प्रकार होना है कि पिछले माह की सभी प्राप्तियाँ अगले माह के प्रथम सप्ताह तक हस्तान्तरित हो जाये। पुनः मार्च माह में कराये गये सभी जमा राशि का हस्तान्तरण 31 मार्च तक अवश्य हो जाये ताकि एक वित्तीय वर्ष की सभी प्राप्तियाँ उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी खाता में हस्तान्तरित हो जाये। 1995 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार सरकारी खाता में बिलम्बित जमा राशि पर 11.30 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज बैंक द्वारा भुगतेय है।

4.5.1 सरकारी खाता में राजस्व का हस्तान्तरण नहीं करने के कारण राजस्व की वसूली का नहीं होना

जि. प. प., पटना तथा रा. प. आ., बिहार, पटना के कार्यालयों में पाया गया कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 31 मार्च 2002 को 33.99 लाख रुपये तथा दो बैंकों में 31 मार्च 2003 को 2.86 करोड़ रुपये अन्त शेष था जिसका हस्तान्तरण एस.बी.आई. सचिवालय शाखा, पटना के माध्यम से सरकारी खाता में उसी वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर, जि. प. प. पटना ने नवम्बर 2002 में कहा कि 30 मार्च 2002 को 32.40 लाख रुपये का एक चेक जारी किया गया फिर भी इसे 31 मार्च 2002 तक सरकारी खाता में हस्तान्तरित नहीं किया गया। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि राशि चेक के माध्यम से 5 अप्रील 2002 को भेजी गयी थी। पुनश्च, रा. प. आ., पटना ने मई 2003 में कहा कि 2.14 करोड़ रुपये की शेष राशि के सरकारी खाता में हस्तान्तरण की प्रक्रिया चेक के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में संग्रहित राशि को सरकारी खाता में उसी वित्तीय वर्ष में जमा करना होता है।

4.5.2 ब्याज के रूप में राजस्व की हानि

जि. प. प., पटना तथा रा. प. आ., बिहार, पटना के कार्यालयों में पाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक, पटना द्वारा वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 में तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इन्डियन बैंक तथा कारपोरेशन बैंक, पटना द्वारा वर्ष 2002–2003 में संग्रहित कर राशि का एस. बी. आई. सचिवालय शाखा, पटना में विहित समय के अन्दर सरकारी खाता में उसी वित्तीय वर्ष में भेजने हेतु हस्तान्तरण नहीं किया गया। विलम्ब एक माह से सात माह के मध्य था। इस प्रकार ब्याज के रूप में 38.91 लाख रुपये सरकारी राजस्व की हानि हुई।

इसे बताये जाने पर जि. प. प., पटना ने नवम्बर 2002 तथा मई 2003 में कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा एवं रा. प. आ., बिहार, पटना ने कहा कि ब्याज़ की राशि जमा कराने हेतु संबंधित बैंकों को निर्देशित किया जा रहा है। तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामला में सरकार को सितम्बर 2003 प्रतिवेदित किया गया ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2004)।

भू–राजस्व

4.6 भू–लगान का निर्धारण तथा उद्ग्रहण नहीं होना

26 अगस्त 1993 के प्रभाव से संशोधित बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई रैयत, समाहर्त्ता की पूर्वानुमति से, मूल अधिनियम में विनिर्देशित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए अपनी भूमि का उपयोग कर सकता है। समाहर्त्ता को ऐसी अनुमति देने से पहले, विहित तरीके से बाजार मूल्य के पाँच प्रतिशत तक किन्तु तीन प्रतिशत से कम नहीं, ऐसी भूमि के लगान का पुनर्निर्धारण करना है। इसके अतिरिक्त यदि किसी रैयत ने इस तरह से उपयोग के लिए पूर्वानुमति नहीं ली है तो उसके द्वारा भुगतेय लगान, यदि वह उपयोग की तिथि या अधिनियम के लागू होने की तिथि और आवेदन या पता लगने की तिथि, जैसा भी मामला हो, की अवधि के लिए ससमय आवेदन दिया होता, की दुगुनी राशि के भुगतान पर समाहर्त्ता द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमति दी जा सकती है।

19 जिलों[2] के 37 राजस्व अंचलों[3] में 1,954 रैयतों ने, जिन्हें अपनी भूमि पर खेती करने का काश्तकारी अधिकार प्राप्त था, 286.19 एकड़ भूमि को वर्ष 1983–1984 से 2001–2002 तक की अवधि के दौरान दुकान, पेट्रोल पम्प, आरा मशीन, सिनेमा हॉल, होटल आदि निर्मित/स्थापित कर, अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए परिवर्तित कर दिया। इनमें से किसी भी मामले में लागू नियमों के अन्तर्गत लगान पुनः निर्धारित कर अधिभोग के अधिकार को नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी और रैयत, कृषि लगान पर ही अपने काश्तकारी अधिकार को लगातार बनाये हुए थे। इसके फलस्वरूप अप्रील 1997 से फरवरी 2003 तक की अवधि में 2.58 करोड़ रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इसे बताये जाने पर अंचल अधिकारियों ने अगस्त 2001 तथा फरवरी 2003 के मध्य कहा कि लगान के उद्ग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामले सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किये गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

4.7 सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण की बेदखली/बन्दोबस्ती नहीं किया जाना

बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया हो तो बिहार सरकार भू–संपत्ति (खास महाल) हस्तक, 1953 में उल्लिखित नियमों के अनुसार अतिक्रमण को खाली करने या वैसी भूमि के उपयोग के लिए लगान और क्षति का भुगतान करने पर उस व्यक्ति को वैसी सार्वजनिक भूमि की बन्दोबस्ती करने हेतु सूचना निर्गत की जा सकती है। तद्नुसार, आवासीय/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग से सार्वजनिक भूमि के मूल्य में हुई क्षति होने पर, लागू बाजार मूल्य के आधार पर उस जमीन की *सलामी* और ऐसी *सलामी* के पचासवें/बीसवें भाग क्रमशः व्यावसायिक/आवासीय लगान के रूप में भुगतेय है।

तीन जिलों[4] के तीन राजस्व अंचलों[5] में यह देखा गया कि 29 व्यक्तियों ने 4.19 एकड़ सार्वजनिक भूमि पर आवासीय/व्यावसायिक उद्देश्यों से मकानों का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया था। तथापि, उक्त भूमि के अतिक्रमण को खाली कराने या नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप 19.81 लाख रुपये के आवासीय/व्यावसायिक लगान और सलामी का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

---

2 *अररिया, बाँका, बेगूसराय, भोजपुर, गया, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीवान तथा पश्चिमी चम्पारण*

3 *बगहा, बाबूबरही, बरौनी, बड़हिया, बरहरिया, बनियापुर, बेतिया, चंडी, दवाथ, दिनारा, फारबिसगंज, घोसी, हसनपुर, काँटी, कोइलवर, कृत्यानन्द नगर, कुर्था, लखीसराय, मैनाटाँड़, मनेर, माँझी, मझौलिया, मीनापुर, नवादा, पंडौल, परसा, रजौली, राजगीर, सासाराम, शंभुगंज, सिंघिया, सूरजगढ़, तरैया, उदाकिशनगंज, उजियारपुर, बाँसी तथा वजीरगंज।*

4 *मुजफ्फरपुर, रोहतास तथा समस्तीपुर।*

5 *काँटी, सासाराम तथा उजियारपुर।*

इन्हें बताये जाने पर अंचल अधिकारियों ने जून तथा अगस्त 2002 के मध्य कहा कि अतिक्रमण हटाये जाने की कार्रवाई की जा रही है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 2004)।

मामले सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किए गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

4.8 सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत गैर मजरूआ खास[6] भूमि पर बिचौलियों का अधिकार समाप्त हो गया और ऐसी सभी भूमि सरकार में सन्निहित हो गयी। सरकार द्वारा समय–समय पर राजस्व अधिकारियों को अनुदेश जारी किये गये कि अबंदोबस्त गैर मजरूआ खास (गै.म.खा.) भूमि से संबंधित सभी मामलों की जाँच की जाय और इस प्रकार की भूमि को योग्य श्रेणी के व्यक्तियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा भूमिहीन व्यक्तियों आदि को उचित एवं न्यायसंगत लगान पर बंदोबस्त किया जाय।

पाँच जिलों[7] के छः राजस्व अंचलों[8] में 36,972.31 एकड़ गै. म. खा. भूमि सरकार में सन्निहित था जिसमें 25,838.49 एकड़ गै. म. खा. भूमि बंदोबस्ती के योग्य था। लेखा–परीक्षण से प्रकट हुआ कि जनवरी 2003 तक मात्र 11,039.01 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती हुई तथा शेष 14,799.48 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती विभाग द्वारा किया जाना अबतक बाकी था। वर्ष 1997–1998 से 2001–2002 तक ऐसी भूमि की बंदोबस्ती उचित तथा न्यायसंगत लगान पर नहीं होने के कारण लगान और उपकर के रूप में 6.77 लाख रुपये के राजस्व पर प्रभाव पड़ा।

इसे बताये जाने पर अंचल अधिकारी, नवादा ने अगस्त 2002 में कहा कि गैर मजरूआ भूमि पर सर्वे कार्य चल रहा है तथा भूमि की बंदोबस्ती का प्रस्ताव उप समाहर्त्ता भूमि सुधार नवादा के पास भेजा जा चुका है जबकि अंचल अधिकारी, सासाराम ने अगस्त 2002 में कहा कि कुछ क्षेत्रों की भूमि पर कुछ व्यक्तियों का अवैध अतिक्रमण है तथा शेष क्षेत्रों में पहाड़ी एवं जंगल हैं। अन्य अंचल अधिकारियों ने फरवरी 2002 तथा जनवरी 2003 के मध्य कहा कि शेष भूमि की बन्दोबस्ती के लिए कार्रवाई किया जा रहा है। अ. अ., सासाराम का उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि भूमि पर पहाड़ी और जंगल होने सम्बन्धी कागजात लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2004)।

मामले सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किये गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

---

6 *कृषि योग्य भूमि जो पूर्व बिचौलियों द्वारा रख लिया गया था तथा रैयत को बंदोबस्त नहीं किया गया।*

7 *गोपालगंज, खगड़िया, नालन्दा, नवादा तथा रोहतास।*

8 *खगड़िया, नवादा, माँझा, रजौली, राजगीर तथा सासाराम।*

4.9 भू–लगान से विमुक्त जमाबंदी पर उपकरों का कम लगाया जाना/माँग में अनियमित कटौती

बिहार भू–लगान (भुगतान से विमुक्ति) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सरकार ने राज्य में दो हेक्टेयर तक की छोटी जमाबंदी पर 1 अप्रील 1978 से लगान में छूट दे दी। तथापि ऐसी जमाबंदी पर विभिन्न उपकरों जैसे पथ उपकर, शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर तथा कृषि विकास उपकर जो संबद्ध उपकर अधिनियम के अन्तर्गत आरोप्य है, से छूट नहीं दी गयी थी। सितम्बर 1982 में सरकार ने उपर्युक्त विभिन्न उपकरों की संशोधित दरों की सूचना निर्गत करते समय बिहार के सभी राजस्व पदाधिकारियों को भू–लगान से विमुक्त काश्तकारों सहित सभी काश्तकारों (रैयतों) पर उक्त उपकरों को आरोपित करने और संग्रहित करने के लिए निदेशित किया।

4.9.1 दो जिलों (भोजपुर तथा पूर्णियाँ) के दो राजस्व अंचलों, कृत्यानन्द नगर तथा सहार में वर्ष 1994–1995 से 2000–2001 तक के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि बिना कोई कारण बताये कम दर पर उपकरों की माँग की गयी। फलस्वरूप माँग में 10.41 लाख रुपये की अनियमित कमी की गयी।

इसे बताये जाने पर अंचल अधिकारियों ने दिसम्बर 2001 तथा जनवरी 2002 के मध्य कहा कि इसका उत्तर जाँचोपरान्त लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामले सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

4.9.2 खगड़िया जिला के दो राजस्व अंचलों गोगरी तथा परबत्ता में पाया गया कि भू–लगान से विमुक्त जमाबंदी पर उपकरों को नहीं लगाया गया। फलस्वरूप वर्ष 1996–1997 से 2001–2002 तक 6.66 लाख रुपये के उपकरों की वसूली नहीं हुई।

इसे बताये जाने पर, अंचल अधिकारियों ने नवम्बर तथा दिसम्बर 2002 के मध्य कहा कि मामले की जाँच करने के बाद राशि की वसूली की जायगी। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामले सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किये गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2004)।

मुद्रांक तथा निबंधन फीस

4.10 संपत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस कम लगाया जाना

बिहार मुद्रांक अधिनियम, 1899 तथा निबंधन अधिनियम, 1908 के साथ पठित बिहार मुद्रांक (दस्तावेज मूल्यांकन निरोध) नियमावली, 1995, के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी दस्तावेज के हस्तांतरण पर विचारणीय धन पर शुल्क आरोप्य है, अर्थात् दस्तावेज के निष्पादन की तिथि को बाजार मूल्य, भूमि/संपत्ति के न्यूनतम अनुमानित मूल्य, जो मार्गदर्शी पंजी में अंकित हो ; से कम नहीं होना चाहिए।

जिला अवर निबंधक (जि. अ. नि.) कार्यालय, बेगूसराय में पाया गया कि जनवरी 2002 में वर्ष 1959 से 1964 तक के प्रभावी मूल्य पर 1.07 करोड़ रुपये के विचारणीय धन के लिए 1,679.14 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के दस्तावेज का निबंधन हुआ जिसपर मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस 20.05 लाख रुपये आरोपित किया गया। मार्गदर्शी पंजी के अनुसार दस्तावेज निष्पादन की तिथि को भूमि का मूल्य 235.45 करोड़ रुपये था ; जिसके लिए मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस 24.49 करोड़ रुपये आरोप्य था। फलस्वरूप 24.29 करोड़ रुपये का मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस कम आरोपित हुआ।

इसे बताये जाने पर जि. अ. नि., बेगूसराय ने सितम्बर 2002 में कहा कि निबंधित दस्तावेज एक पट्टा दस्तावेज था न कि हस्तांतरण दस्तावेज। इसलिए उस भूमि पर बाजार मूल्य लागू नहीं था। उत्तर संतोषप्रद नहीं हैं क्योंकि दस्तावेज का शीर्षक तथा उसका प्रपठन से पता चलता है कि निबंधित दस्तावेज एक हस्तांतरण दस्तावेज था न कि पट्टा दस्तावेज।

मामला मार्च 2003 में विभाग को प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को सितम्बर 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 2004)।

अध्याय – V : अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2003 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से किराया, शुल्क, फीस, हानि/राजस्व की वसूली नहीं होना इत्यादि के अवनिर्धारण तथा हानि का पता चला जो निम्नवत है :

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
खनिज रियायत, फीस तथा रॉयल्टियाँ			
1.	अर्थदंड/फीस का नहीं लगाया जाना	25	13.04
2.	मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का नहीं लगना	9	0.80
3.	बालू घाटों की बन्दोबस्ती नहीं/गलत होने के कारण निलामी राशि का नहीं/कम लगाया जाना	8	0.92
4.	ब्याज का नहीं लगाया जाना	8	0.03
5.	नीलामवाद मामले का दर्ज नहीं कराया जाना	8	1.42
6.	अन्य मामले	55	5.01
	कुल	**113**	**21.22**
जल दर			
1.	सिंचाई लक्ष्य में कामयाबी नहीं पाने के कारण राजस्व की हानि	2	0.39
2.	जल दर का समय पर निर्धारण नहीं होना	1	0.25
3.	अन्य	36	15.48
	कुल	**39**	**16.12**
वन			
1.	अन्य विसंगतियाँ	5	1.71
	कुल	**5**	**1.71**
	कुल योग	**157**	**39.05**

दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले जिसमें 24.96 करोड़ रुपये के कर निहित है, निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये है :

खनिज रियायत, फीस तथा रॉयल्टियाँ

5.2 रेल विभाग के कार्यों में खपत किये गये लघु खनिज पर रॉयल्टी/ब्याज का नहीं/कम लगाया जाना

5.2.1 बिहार लघु खनिज समनुदान (बि.ल.ख.स.) नियमावली 1972, के अन्तर्गत संवेदक लघु खनिजों का क्रय सिर्फ पट्टाधारियो/अनुज्ञप्तिधारियों तथा अधिकृत व्यापारियों से ही करेगा। वह एक शपथ पत्र प्रपत्र 'एम' में और ब्योरा प्रपत्र 'एन' में जिसमें प्राप्त किये गये खनिजों के स्रोत, भुगतान की गयी मूल्य और परिमाण का विवरण देते हुए, विपत्र के साथ निर्माण कार्य विभाग को प्रस्तुत करेगा। कार्य विभाग प्रपत्रों की छायाप्रति सम्बन्धित खनन् पदाधिकारी को विवरणों की जाँच हेतु अग्रसारित करेगा। यदि संवेदक द्वारा दिया गया विवरण गलत पाया जाता है तो यह समझा जायगा कि खनिज अवैध खदानों से लिया गया है तथा दोषी को खनिज के मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा एवं सरकार किराया, रॉयल्टी या कर जैसा भी मामला हो की भी वसूली कर सकती है।

अवैध खदानों द्वारा स्टोन 'ब्लास्ट' की आपूर्त्ति

दानापुर तथा सोनपुर रेल प्रमंडलों के अभिलेखों से उद्घटित हुआ कि वर्ष 1998–1999 तथा 2001–2002 की अवधि में छः संवेदकों ने 1,11,479 घनमीटर स्टोन ब्लास्ट की आपूर्त्ति की लेकिन उन्होंने अपने विपत्रों के साथ प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार, 1,11,479 घन मीटर स्टोन ब्लास्ट की आपूर्त्ति लघु खनिजों के अवैध खदानों से की गई थी ; इसलिए संवेदकों द्वारा खनिज की कीमत तथा रॉयल्टी के रूप में 2.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था।

इसे बताये जाने पर, जिला खनन् पदाधिकारी, मुंगेर ने जून 2003 में कहा कि उचित कार्रवाई हेतु मामला रेल विभाग को सुपुर्द है। तदन्तर उत्तर प्रतीक्षित है। (अगस्त 2004)।

घोषणाओं में गलत विवरण का प्रस्तुतीकरण

जिला खनन् पदाधिकारी (जि. ख. प.), मुंगेर के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2000–2001 में दो संवेदकों ने तीन पट्टाधारियो/अनुज्ञप्तिधारियों से 584 घन मीटर स्टोन ब्लास्ट का क्रय किया था। दानापुर रेलवे प्रमंडल से अभिलेखों की तिर्यक जाँच से पता चला कि इन संवेदकों ने उनके द्वारा विपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' के अनुसार 7,255 घन मीटर स्टोन ब्लास्ट की आपूर्त्ति की थी। इस प्रकार, 6,671 घन मीटर स्टोन ब्लास्ट की आपूर्त्ति अवैध खदानों से की गयी थी इसलिए संवेदकों द्वारा 20.41 लाख रुपये रॉयल्टी तथा खनिज के मूल्य के रूप में भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान इसे बताये जाने पर, जि. ख. प., मुंगेर ने जून 2003 में कहा कि तदन्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु मामला रेल विभाग के पास है। तदन्तर उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2004)।

5.2.2 बि.ल.ख.स. नियमावली 1972, के अन्तर्गत खन्नपट्टा या अनुज्ञप्ति की शर्त्तों में उल्लिखित क्षेत्र के अलावे कोई भी व्यक्ति खुदाई की कार्रवाई नहीं कर सकता। जब कभी कोई व्यक्ति खनिज की खुदाई बगैर किसी वैध पट्टा/अनुज्ञप्ति के करता है तो उसे लघु खनिज के अवैध खुदाई का सदस्य माना जायगा तथा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी एवं सरकार वैसे व्यक्ति से किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा अवैध रूप से कब्जा किये गये अवधि के लिए वसूल करेगी।

खनिज का अनाधिकृत उत्खनन/प्रेषण

जि. ख. प., मुंगेर के अभिलेखों की तिर्यक जाँच रेलवे प्रमंडल दानापुर एवं सोनपुर के अभिलेखों से करने पर उद्घटित हुआ कि छः पट्टेदार ने वर्ष 1998–1999 से 2001–2002 की अवधि में 80,748 घन मीटर स्टोन ब्लास्ट की आपूर्त्ति; पट्टे की अवधि समाप्त होने की तिथि के बाद किया। इस प्रकार, स्टोन ब्लास्ट की आपूर्त्ति लघु खनिज के अवैध खनन/प्रेषण से की गयी इसलिए पट्टेदारों को 1.87 करोड़ रुपये का भुगतान खनिज की कीमत तथा रॉयल्टी के रूप में करना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे बताये जाने पर, जि. ख. प., मुंगेर ने कहा कि तदन्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु मामला रेलवे विभाग के पास है। तदन्तर उत्तर प्रतीक्षित है। (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को सितम्बर 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (अगस्त 2004)।

वस्तुओं के निर्गम के छिपाव के कारण रॉयल्टी का नहीं लगाया जाना

जि. ख. प., मुंगेर तथा पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर एवं सोनपुर मंडलों के कार्य संवेदकों के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि पाँच पट्टेधारियों ने वर्ष 1999–2000 तथा 2001–2002 की अवधि में रेलवे को 1,42,020 घन मीटर स्टोन ब्लास्ट की आपूर्त्ति की थी किन्तु जि. ख. प. को समर्पित अपने विवरणियों में 3,922 घन मीटर स्टोन ब्लास्ट की आपूर्ति की घोषणा की थी। इस प्रकार 1,38,098 घन मीटर स्टोन ब्लास्ट के आपूर्त्ति को छिपाया गया, अतएव, उन्हें 34.52 लाख रुपये रॉयल्टी के रूप में भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा के दौरान इसे बताये जाने पर, जि. ख. प., मुंगेर ने जून 2003 में कहा कि तदन्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु मामला रेलवे विभाग के पास है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को सितम्बर 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित है। (अगस्त 2004)।

5.3 ईंट मिट्टी के अवैध खनन पर अर्थदंड का नहीं/कम लगाया जाना

बि.ल.ख.स. नियमावली, 1972 तथा उसके अधीन मार्च 1992 में जारी अधिसूचना के अन्तर्गत प्रत्येक ईंट भट्ठा मालिक/ ईंट मिट्टी हटाने वाले व्यक्ति अनुज्ञप्ति जारी होने के पूर्व ईंट भट्ठा की श्रेणी के आधार पर समेकित रॉयल्टी एक किस्त में भुगतान करेगा। तदन्तर, यदि कोई व्यक्ति वैध पट्टा/अनुज्ञप्ति के बिना लघु खनिज की खुदाई

करता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी तथा सरकार उस व्यक्ति द्वारा बिना किसी न्यायोचित प्राधिकार के अवैध रूप से जमीन पर कब्जा की अवधि के लिए किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, की भी वसूली कर सकती है।

15 जिला खनन् कार्यालयों[1] में पाया गया कि वर्ष 1997–1998 से 2001–2002 तक की अवधि में 4,418 ईंट भट्ठे ; वैध अनुज्ञप्ति तथा विहित समेकित रॉयल्टी के भुगतान के बगैर चलाये जा रहे थे। किसी भी मामले में दोषियों के विरूद्ध खनिज की कीमत की वसूली के लिए माँग नहीं की गयी। खनिज की न्यूनतम कीमत रॉयल्टी के बराबर लेने पर 14.33 करोड़ रुपये का अर्थदंड नहीं/कम लगाया गया।

इसे बताये जाने पर चार स. ख. प.[2] ने मई तथा सितम्बर 2002 के मध्य कहा कि बि. ल. ख. स. नियमावली, 1972 के नियम 26 (ए) के अन्तर्गत अर्थदंड लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि नियम 26 (ए) के अनुसार यदि संचित रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया हो तो ईंट भट्ठा का संचालन बंद कर देना है। फिर भी, इन मामलों में लघु खनिज की खुदाई, किसी रॉयल्टी के बगैर की गयी जिसके लिए नियम 40 (8) के अन्तर्गत अर्थदंड लगाया जाना था। अन्य मामलों में कोई उत्तर नहीं दिया गया (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

5.4 बंदोबस्ती के दस्तावेजों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

बि.ल.ख.स. नियमावली, 1972 के अन्तर्गत जिला समाहर्त्ता द्वारा एक पंचांग वर्ष के लिए सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से शीर्षस्थ डाककर्ता को बालू घाट की बंदोबस्ती की जाती है तथा भारतीय मुद्रांक नियम, 1899 में विहित मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर बंदोबस्ती विलेख निष्पादित किया जाता है।

नौ जिला खनन् कार्यालयों[3] में 143 बालू वाले क्षेत्रों की बंदोबस्ती वर्ष 2000 से 2002 के वर्षों के लिए, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत बंदोबस्ती के उचित दस्तावेज के निष्पादन के बगैर, 15.99 करोड़ रुपये पर किया गया। इस प्रकार, 1.06 करोड़ रुपये के मुद्रांक शुल्क की हानि हुई।

इसे बताये जाने पर, छः जि. ख. प.[4] ने मार्च तथा अक्टूबर 2002 के मध्य कहा कि आवश्यक कार्रवाई की जायगी जबकि जि. ख. प., बिहारशरीफ, हाजीपुर तथा रोहतास ने सितम्बर 2002 में कहा कि निबंधन ऐच्छिक था। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि निबंधन मात्र ही ऐच्छिक है किन्तु ऐसे सभी मामलों में दस्तावेजों के निष्पादन पर मुद्रांक शुल्क लगाना अनिवार्य था। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

---

1 *बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, सीतामढ़ी तथा सिवान।*

2 *बिहारशरीफ, जमुई, मोतिहारी तथा मुजफ्फरपुर।*

3 *बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, गया, हाजीपुर, जमुई, मुंगेर, पटना तथा रोहतास।*

4 *मुंगेर, भागलपुर, गया, बेतिया, जमुई तथा पटना।*

मामले सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

5.5 रॉयल्टी कम लगाया जाना

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत खदान के पट्टाधारी को, किसी खनिज को खदान क्षेत्र से निकालने या उपभोग करने पर सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित विहित दर पर, रॉयल्टी का भुगतान करना होता है। सितम्बर 2000 में जारी अधिसूचना द्वारा सरकार ने चूना पत्थर के रॉयल्टी दर को संशोधित कर, 32 रुपये प्रति मेट्रिक टन से 40 रुपये मेट्रिक टन किया।

जिला खनन् कार्यालय, रोहतास में पाया गया कि चूना पत्थर का एक पट्टाधारी ने सितम्बर 2000 से जून 2001 के मध्य 4,63,827.922 मेट्रिक टन चूना पत्थर अपने तीन पट्टा खदानों से निर्गत किया। रॉयल्टी की राशि, यद्यपि 40 रुपये प्रति मेट्रिक टन की दर से आरोप्य था, 32 रुपये प्रति मेट्रिक टन की दर से आरोपित किया गया, फलस्वरूप 37.11 लाख की रॉयल्टी कम आरोपित किया गया।

इसे बताये जाने पर, स. ख. प., रोहतास ने मई 2002 में कहा कि मामले की जाँच की जायगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को अक्टूबर 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

5.6 मासिक विवरणी के बिलम्बित दाखिला के कारण अर्थदंड नहीं लगाना

बि. ल. ख. स. नियमावली, 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक पट्टेदार या अनुज्ञप्ति धारी हरेक महीने लघु खनिजों के उत्खनन एवं प्रेषण के लिए संबंधित महीने के अगले महीने की 15 तारीख तक एक विवरणी दाखिल करेगा। यदि कोई पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक विवरणी विहित अवधि में दाखिल करने में विफल होता है, तो उसे विहित अवधि की समाप्ति तिथि से 20 रुपये प्रति दिन की दर से अधिकतम 2,500 रुपये अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा।

जि. ख. प., भागलपुर कार्यालय में पाया गया कि चार पट्टाधारी ने 240 मामलों में विवरणी दाखिल नहीं किया। यद्यपि, अप्रील 1996 तथा मार्च 2002 के मध्य विभिन्न महीनों के लिए विवरणी दाखिला में बिलम्ब 471 से 2,146 दिनों तक का था ; कर निर्धारण पदाधिकारी अर्थदंड आरोपित करने में विफल रहा। फलस्वरूप, 6.00 लाख रुपये का अर्थदंड नहीं लगाया गया।

इसे बताये जाने पर, स. ख. प. ने जुलाई 2002 में कहा कि बकाये की वसूली हेतु नये नीलामवाद मामले इस राशि के सहित दर्ज किये जायेंगे। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामले सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किये गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

जल दर

5.7 खतियानी की तैयारी नहीं होने के कारण माँग का सृजन नहीं किया जाना

बंगाल सिंचाई अधिनियम, 1876 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन जैसा कि बिहार में लागू है, कृषि कार्य हेतु जल आपूरित किए गए लाभार्थियों से जल दर की वसूली हेतु खरीफ के लिए 30 नवम्बर तथा रबी फसल के लिए 25 मई तक की निर्धारित अवधि के भीतर सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न औपचारिकताएँ, जैसे सिंचित भूमि की विवरणी (सूदकर) की तैयारी, कृषकवार विस्तृत मापों (खेसरा) की तैयारी और माँग विवरणियों (खतियानी) की तैयारी पूरी किये जाने की जरूरत है।

दो सिंचाई प्रमंडलों, डेहरी ऑन सोन तथा जमुई एवं नहर प्रमंडल, औरंगाबाद में पाया गया कि वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान 5.56 लाख एकड़ सिंचित भूमि की खतियानी तैयार नहीं की गयी और न ही राजस्व के संग्रहण हेतु माँग सृजित करने के लिए राजस्व प्रमंडलों को समय पर भेजी गयी। फलस्वरूप 3.75 करोड़ रुपये के जल दर की माँग सृजित नहीं की जा सकी।

इसे बताये जाने पर, विभाग ने अगस्त तथा नवम्बर 2002 के मध्य कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण खतियानी की तैयारी में बिलम्ब हुआ। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि सरकारी राजस्व के हित में खतियानी की तैयारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

मामले सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किये गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

वन प्राप्तियाँ

5.8 अतिक्रमित वन भूमि को बेदखल नहीं कराया जाना

बिहार वन (संशोधित) अधिनियम, 1990 के खंड 66 (ए) के अन्तर्गत वन भूमि का अतिक्रमण एक संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध हैं। यदि किसी वन पदाधिकारी, जो किसी वन प्रमंडल पदाधिकारी के नीचे का पदाधिकारी नहीं हो, को यह विश्वास करने का कारण हो कि भूमि का अतिक्रमण हुआ है, तो वह अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक दण्डाधिकारी को प्रदत्त अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। वन संपदा की क्षति के लिए रॉयल्टी तथा क्षतिपूर्ति की वसूली भी अतिक्रमणकारियों से किया जायेगा।

वन प्रमण्डल, मुंगेर में पाया गया कि 13 मामलों में 67.69 एकड़ भूमि जो खड़गपुर एवं मलयपुर रेंज के अन्तर्गत थी, वर्ष 2001–2002 के दौरान उसका अतिक्रमण किया गया। अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने एवं उनसे 5.27 लाख रुपये की रॉयल्टी तथा क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

इसे बताये जाने पर, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मुंगेर ने अक्टूबर 2003 में कहा कि 30.20 एकड़ अतिक्रमित वन भूमि की बेदखली करायी जा चुकी है तथा शेष क्षेत्रों से अतिक्रमणकारियों की बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। रॉयल्टी तथा क्षतिपूर्ति की वसूली की स्थिति की जानकारी नहीं दी गयी। तदन्तर, उत्तर प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2004)।

मामला सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2004)।

विक्रम चन्द्र

पटना
दिनांक 19 OCT 2004

(विक्रम चन्द्र)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

नई दिल्ली
दिनांक 24 NOV 2004

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक